खण्ड-460, अंक-5
शुक्रवार, 03 भाद्रपद, शक संवत् 1928
(25 अगस्त, 2006 ई0)

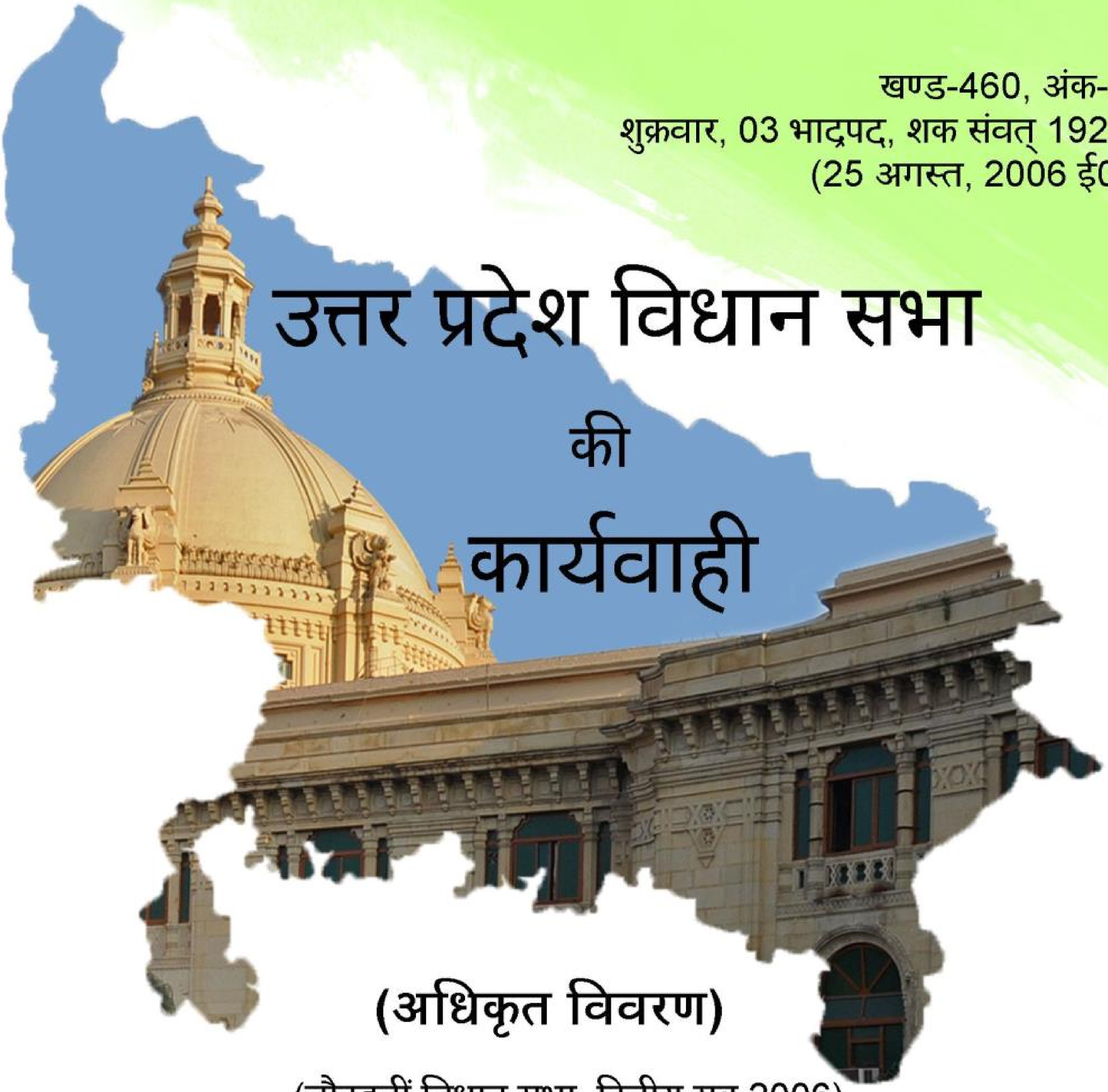

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 460 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
जनपद सुल्तानपुर में अराजक तत्वों द्वारा थाने में बन्द अपराधी को जबरदस्ती छुड़ाये जाने सम्बन्धी सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-41
वर्ष 1952 से 1957 तक की अवधि के 15 विधान सभा सदस्यों के सम्मान समारोह के अवसर पर आज सदन में उपस्थित रहने हेतु सभी सदस्यों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध	41-42
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	42-43
गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत सड़क दुर्घटना में हुई 5 व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप आश्रितों एवं घायलों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
कानपुर महानगर में डंकन इण्डस्ट्रीज एवं एल0एम0एल0लि0 कारखानों के बन्द होने से उनमें कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक तंगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इलाहाबाद शहर के दारागंज मुहल्ले में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
प्रतापगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत गहुली बाजार काण्ड में ग्रामवासियों के ऊपर लगाये गये फर्जी मुकदमों को वापस करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
चन्दौली के अधिशासी अधिकारी द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	45-46
गोरखपुर महायोजना को अभी तक स्वीकृति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46-47
फतेहपुर के खागा किशुनपुर मार्ग पर ससुर खदेरी नदी में बने लोहे के जर्जर पुल का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
उत्तर प्रदेश के विकास खण्डों में तैनात एन0आर0ई0पी0 लिपिकों को विगत छः माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
जनपद मेरठ के तीन प्रमुख बिजली घरों व उनसे सम्बन्धित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुधारने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
लखनऊ कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत शारदा कैनाल पुल के पास बारा बिरवा चौराहे पर लम्बित चौड़ीकरण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मेरठ के किनानगर निवासी स्व0 मित्तल सिंह की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिवार को आर्थिक मदद देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद चित्रकूट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विगत 4 वित्तीय वर्षों में स्वीकृत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड-दीनशाह गौरा के चयनित शिक्षामित्रों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
मुरादाबाद पश्चिम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-आगवानपुर के मुहल्ला सैफयान निवासी, मो0 आकिल एवं मो0 नाजिम की रेलगाड़ी से कटकर हुई मृत्यु के फलस्वरूप पारिवारिक जनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
राष्ट्रीय राजमार्ग-93 जो हाथरस से होकर गुजरता है, की तत्काल मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	51-52
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के वार्षिक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन ------- (सदन के पटल पर रखा गया)	52
संस्थागत वित्त, कर निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	52
उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 .... (सदन के पटल पर रखी गयी)...	52-53
श्री भीम सिंह के परिवाद संख्या-4795-2001 (प्रतापगढ़) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	53
विधान सभा के प्रथम सत्र 2006 (दिनांक 11 मई, 2006 से 17 मई, 2006 तक) में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण .... (सदन के पटल पर रखा गया)...	53
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	53
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) (संशोधन) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	54

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)...	54
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	54
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	54
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2000 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	55
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2005 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	55
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2005 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	55
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) (छठा संशोधन) नियमावली, 2005 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	55
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 2005 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	55-56
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	56
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	56
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)...	56
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (अनर्हता का हटाया जाना और अर्नहता और सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	56

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	56
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (अध्यक्ष या प्रमुख आदि के पद की शपथ) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	57
उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखा गयी)... ...	57
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव .... (स्वीकृत)...	57-59
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 .... (पुरःस्थापित)...	59
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 ..... (पुरःस्थापित)	59
सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 ..... (जारी) ...	59
नेता विरोधी दल को बोलने के लिए पर्याप्त अवसर न मिलने पर आपत्ति .... (जारी)...	60-64
सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 ..... (पुरःस्थापित) ...	64-65
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	65-67
राजा महमूदाबाद की शत्रु सम्पत्ति के पुराने किरायेदारों से मकान खाली कराये जाने तथा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण.....	67
जनपद-कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में पिपराघाट पर गण्डक नदी पार करते समय नाव दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य.....	68
प्रदेश में स्नातक स्तर पर छात्रों के प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में डॉ अरूण मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य.....	69-71
जनपद प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर के अन्तर्गत ग्राम मसनी में आये भीषण चक्रवात के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य.... ...	71
जनपद-भदोही स्थित पेयजल की चार परियोजनाओं को धन उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य..... ...	71-72

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्ष 1991 से तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य....	72
जनपद-आजमगढ़ में 33 के0 वी0 ए0 विद्युत सब स्टेशनों पर विद्युत की सप्लाई न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	73-74
जनपद-बादां में सिंचाई प्रखण्ड-तृतीय, बांदा के अन्तर्गत बरियारपुर वियर, केन मुख्य नहर, गंगऊ वियर जुलाई, 2005 की आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में करोड़ों रुपये का गबन किये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	74
जनपद-मुजफ्फरनगर स्थित मेरठ-करनाल मार्ग पानीपत-खटीमा मार्ग पर निर्मित ध्वस्त पुलों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	74-75
प्रदेश में दुग्ध का न्यूनतम समर्थन-मूल्य घोषित करने के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दुग्ध विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	75-76
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में नीति विरुद्ध तथा नियम विरुद्ध स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	76-77
कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र में पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	77-78
वर्ष 1952 से 1957 तक की अवधि के 15 विधान सभा सदस्यों के सम्मान समारोह के अवसर पर आज सदन में उपस्थित रहने हेतु सभी सदस्यों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध....	78

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-299

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किशन लाल बघेल, श्री	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर

कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भास्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला), श्रीमती	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फागू, श्री — मऊ
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
बाबूराम, एम0 काम0, श्री — जालौन
बाबू लाल, श्री — गोण्डा
बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिह, कुंवर एडवोकेट — जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
भरत सिंह, श्री — बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री — एटा
माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर

मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी — आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री — फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
रंगनाथ मिश्र, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
रणवीर राणा, श्री — मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, श्री	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :–औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम),
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) तथा
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद सुल्तानपुर में अराजक तत्वों द्वारा थाने में बन्द अपराधी को जबरदस्ती छुड़ाये जाने सम्बन्धी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी चिन्ता की बात है कि जिनसे अपेक्षा की जाती है, जिनके ऊपर कानून-व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेदारी है, ऐसे कानून के रक्षकों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है। जनपद सुल्तानपुर में जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को मार-पीटकर अपराधियों को छुटाकर समाजवादी पार्टी के विधायक ने कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। बहुत गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। आज तो छोड़ दीजिए, आज ऐसा माहौल न बनायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं माहौल नहीं बना रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है, आप इस पर व्यवस्था दें और इस प्रकार से जो निरंकुशता है, उस पर अंकुश लगना चाहिए।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सन् 2000 से 2006 के मध्य एड्स से हुई मौतें व उनकी रोकथाम की योजना

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर (अनुपस्थित)-

**1-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में 1 जनवरी, 2000 से 31 जुलाई, 2006 के मध्य एड्स से कितनी मौतें हुयी हैं ? क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी, 2000 से 31 जुलाई, 2006 के मध्य एड्स से 153 मौतें हुयी हैं।

राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजना एवं संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा किया जाता है।

एच0आई0बी0/एड्स की रोकथाम हेतु सरकार लक्षित इन्टरवेंशन, एस0टी0डी0 नियंत्रण एवं कन्डोम प्रोत्साहन प्रचार-प्रसार एवं रक्त सुरक्षा, स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम, पी0पी0टी0सी0टी0 कार्यक्रम, सर्विलेन्स, प्रशिक्षण, एच0आई0बी0/एड्स हेतु "लो कास्ट कम्यूनिटी केयर" तथा अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सहयोग के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित कर रही है।

प्रदेश में एड्स मरीजों को निःशुल्क दवायें उपलब्ध कराने हेतु 03 ए0आर0टी0 (ऐन्टी रिट्रोवायरल थेरेपी) केन्द्रों (के0जी0एम0यू0, लखनऊ एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कालेज मेरठ तथा आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी) की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों पर एड्स के मरीजों को निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

इटावा से इन्दौर व दिल्ली बिना परमिट के निजी बसों के संचालन से हो रहे राजस्व का नुकसान

श्री सोबरन सिंह यादव-

*1-क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि इटावा से इन्दौर एवं इटावा से नई दिल्ली के लिये बिना परमिट के निजी बसों का परिचालन किया जा रहा है जिससे परिवहन विभाग को कई लाख रुपया प्रतिमाह नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिचालन पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रश्नगत मार्गों पर चेकिंग के दौरान बिना परमिट के निजी बसों का संचालन नहीं पाया गया। अतः राजस्व का नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोबरन सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा से अन्तर्राज्यीय बसों के परिचालन के लिए निजी क्षेत्र में उन्होंने कितने परमिट जारी किये हैं और दूसरा क्या इटावा में किसी ट्रेवेल एजेंसी को परिवहन विभाग ने अधिकृत किया हुआ है ? कृपया बताने की कृपा करें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् प्रश्न बसों के परमिट दिए जाने का है, परिवहन एजेन्सी को उनका टिकट बेचने का नहीं है। लेकिन आपने जो बात पूछी है श्रीमन्, हम, अवगत कराना चाहते हैं कि इटावा से इन्दौर के लिए दो बसें हैं, ये यू0पी0/75 एच 8508 और यू0पी0 75 एच 8746, ये दो बसें हैं, जो इटावा से इन्दौर के लिए चलती है और इसमें पहले की परमिट की वैधता 15-06-2011 तक तथा दूसरे की परमिट की वैधता 15-02-2010 तक है तथा वैध बसों के संचालन के अलावा और इस रूट पर नहीं हैं। जहां तक इटावा-दिल्ली का प्रश्न है, उस पर परमिट देने का प्रश्न ही नहीं है, वह नेशनलाइज रूट है और नेशनलाइज रूट पर प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाने का न तो कोई प्रसंग है और न प्राइवेट बसें उस पर चल रही हैं।

श्री सोबरन सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि रोडवेज की बसें इटावा-दिल्ली चलती हैं, मेरा मानना है कि इटावा से अन्दर के जनपद जो हैं, मैनपुरी, एटा, जहां से सीधा दिल्ली के लिए रास्ता नहीं है, लगभग 50 बसें इटावा से नित्य दिल्ली के लिए जाती हैं। ऐसी स्थिति में इटावा से दिल्ली के लिए नेशनल हाई-वे नं0-2 या जी0टी0 रोड से बसों का जाना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि इस तरह का कोई परिचालन नहीं होता है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, इन बसों से

परिवहन निगम को कितने राजस्व का नुकसान हो रहा है, यह चिन्ता की बात नहीं है, चिन्ता के उसमें दो मुख्य कारण हैं, पहला, जो अन्तर्राज्यीय बसें परिचालित हो रही हैं, उससे व्यापार कर, आय कर, एक्साइज आदि की बहुत बड़ी चोरी होती है, दूसरे प्रान्तों से जहां पर कर लगता है, जिन वस्तुओं पर, वे वस्तुएं उत्तर प्रदेश में लायी जाती हैं।

मान्यवर, दूसरा चिन्ता का कारण यह है कि रेलवे स्टेशनों पर, परिवहन निगम के स्टेशनों पर प्रशासन सख्त निगरानी रखता है। जो छोटी-छोटी प्राइवेट बसें जाती हैं उसमें तस्करी करने वाले लोगों ने, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने उसे आवागमन का माध्यम बना रखा है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने का काम करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने बसों का नम्बर भी बता दिया और यह भी बता दिया कि उनके अलावा बसों का संचालन नहीं पाया गया। हमारे यहां 30 दिन में 21 दिन जांच का काम किया जाता है और ओवर लोडिंग की शिकायत के अलावा बिना परमिट की एक भी बस वहां पर संचालित नहीं है। अगर माननीय सदस्य इटावा के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी बता देंगे तो दिखवा लेंगे। इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा कि आयकर का नुकसान होता है तो मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति आयकर अदा करता है बस आयकर अदा नहीं करती। अगर बस का टैक्स जमा नहीं है तो नुकसान हो सकता है। उनको चिन्ता अपनी जगह पर सही हो सकती है लेकिन इसे मैं वास्तविक चिन्ता नहीं मानता। अगर आप कोई स्पेसिफिक जानकारी बता देंगे तो हम कार्यवाही करवाएंगे।

श्री सोबरन सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आयकर बस से नहीं मिलता है। मेरा कहना है कि जो व्यापारी है वह अगर उन वस्तुओं को लेकर बस में आते हैं जिन पर कर लगता है तो उस वस्तु को बस से लाने पर जो कर लिया जाना चाहिए उसका नुकसान होता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ करना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय सदस्य अगर मुझे स्पेसिफिक सूचना देंगे तो हम कार्यवाही करेंगे।

प्रदेश में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्ध कराने की योजना

*2-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? क्या अनपरा "डी" परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

जी हां।

विद्युत संकट से निपटने हेतु कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न परियोजनायें स्थापित करने तथा पुरानी इकाइयों के रिफर्बिशमेन्ट/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है :-

1-2 × 210 मे0वा0 पारीछा तापीय परियोजना

2-2 × 500 मे0वा0 अनपरा "सी" परियोजना

3-2 × 250 मे0वा0 हरदुआगंज विस्तार परियोजना

4-2 × 250 मे0वा0 पारीछा विस्तार परियोजना

5-2 × 500 मे0वा0 अनपरा "डी" परियोजना

6-ओबरा "अ" विद्युत गृह (5 × 50 मे0वा0) की इकाइयों के रिफर्बिशमेन्ट का कार्य।

7-5 × 200 मेगावाट ओबरा "ब" ताप विद्युत गृह के रिफर्बिशमेन्ट का कार्य।

8-हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-5 एवं 7 पर रु0 55.35 करोड़ की लागत वाली आर0 एण्ड एम0 स्कीम का कार्य

9-अनपरा "अ" ताप विद्युत गृह की 3X210 मे0वा0 इकाइयों हेतु नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य

10-ओबरा "अ" ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-6 (100 मे0वा0) के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य।

जी हां।

परियोजना की रैपिड तथा काम्प्रीहेंसिव ई0आई0ए0 स्टडी करने का कार्य मैसर्स बी0एच0ई0एल0 द्वारा लिया जा रहा है। इस परियोजना हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फर्स्ट स्टेज साइट क्लियरेंस प्राप्त हो गया है। परियोजना के वित्त पोषण हेतु मैसर्स रूरल इलेट्रिफिकेशन कार्पोरेशन से ऋण प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि विद्युत के बिना विकास का पहिया घूम नहीं सकता है। सरकार जब सत्ता में आयी थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि दो साल के अन्दर हम दो रुपये प्रति यूनिट की दर से प्रदेश की जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करा देंगे। जो आज स्थिति है, न तो कृषकों का कार्य हो पा रहा है, न आम आदमी का कार्य हो पा रहा है। प्रदेश से उद्योग धन्धे भाग रहे हैं जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी का सपना भी है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि दो वर्ष के अन्दर दो रुपये प्रति यूनिट की दर से पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करायेंगे उस दिशा में वह क्यों नहीं घोषणा पूरी कर पाये ? दूसरा मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो उनकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वह फाइलों में हैं। आनपारा 'डी' की बात कही गयी, इसमें न तो डी0बी0आर0 तैयार किया गया और न ही फाइलन डी0बी0आर0 तैयार हुआ। तो यह जो सारी योजनाएं पढ़कर सुनायी गयी हैं, प्रदेश की विद्युत मांग को देखते हुए, उसकी पूर्ति के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया घूमता रहे इसके लिए बिजली कब तक मिल पायेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार शुरू से ही बिजली उत्पादन पर बहुत ही ध्यान दे रही है और आज हमने प्रयासों से बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है तथा आपको अवगत भी करा दिया है दस बिन्दुओं के माध्यम से। इसके लिए हमारी सरकार चिन्तित भी है और इसमें हमको सफलता भी मिल रही है। जितनी भी बाधायें हैं उनको हम दूर करते जा रहे हैं। अगर बीच में चौधरी साहब, जब 96 में आपकी सरकार थी और दिल्ली में भी आपकी सरकार थी, तो उस समय प्रयास किया होता तो यह स्थिति न होती।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

हम तो कुछ नहीं कर पाये लेकिन आपने क्या किया ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

हमने तो प्रयास किया है। पारीक्षा की दो यूनिट हमने तैयार करा दी है और अनुबन्ध भी किये हैं। कई योजनाओं पर अनुबन्ध किया है और वह चालू भी हैं। अगर 96 से लेकर 03 तक थोड़ा भी प्रयास किया गया होता तो बहुत सी समस्याएं हल हो गयी होतीं। हमने प्रयास किया है और आगे दो तीन सालों में स्थिति सुधर जायेगी। आपको तो पता ही होगा कि कोई भी यूनिट तीन साल से पहले तैयार नहीं की जा सकती। जैसा आपने बताया है आनपारा 'डी' के बारे में, जिसकी लागत पांच हजार करोड़ रुपया है, तो आपको बता दूं कि तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है। परियोजना की रैपिड तथा काम्प्रीहेंसिव ई0आई0ए0 स्टडी करने का कार्य मैसर्स बी0एच0ई0एल0 द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फस्ट स्टेज साईट क्लियरेंस प्राप्त हो गया है तो अभी तो इसकी शुरूआत है। तो इस तरह से तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये की मंजूरी के लिए हमने प्रयास कर लिया है और पन्द्रह सौ करोड़ अंशदान जो प्रदेश सरकार से दिया जायेगा, वह तैयार है। तो जो आनपारा-डी है उसे भी जल्दी प्रयास कर रहे हैं वह भी यूनिट पर काम जल्दी हो जाय, और हो जायेगा। इसलिये हम प्रयास में हैं, बहुत प्रयास में हैं कि यह बिजली का संकट उत्तर प्रदेश से दूर हो तो इसमें आपके सहयोग की जरुरत है। आपने पहले अगर सहयोग अपनी सरकार के द्वारा कराया होता तो बहुत सफलता मिल सकती थी। इसलिये हमारी सरकार बहुत प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश का बिजली का संकट उत्तर प्रदेश से दूर हो, हम प्रयास में हैं।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिलायंस का समझौता जो हुआ था उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इसमें अभी आगे प्रश्न लगा हुआ है।

मान्यवर, आपको यह पता है कि कल इसमें भूमि-पूजन हो गया है, काम की शुरुआत हो गया है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, भारत सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उनके भाई ने गैस देने से मना कर दिया तो यह भूमि पूजन का अर्थ क्या है ? आज 25 साल से जो योजनायें प्रस्तावित हैं वह सब आपने गिनवा दी उसमें हो क्या रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

अगले प्रश्न में वह रिलायंस वाला है, उसमें आप पूछ लीजियेगा।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, इसमें भी है, आनपारा सी का अभी कुछ हुआ नहीं और 'डी' का अपने गिना दिया। 'डी' के बनने में 3 साल कम से कम लगेंगे क्लीयरेंस में भारत सरकार से और पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस लेना होता है वहां उतना वनीकरण करना होता है। तो यह सदन को गुमराह करने की बात क्यों हो रही है ? कोई शुरुआत नहीं हुई।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह सच है कि विद्युत की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच में गैप है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसीलिये नये पावर हाउस जो होते हैं उनकी पीएलएफ प्लांट लोड फैक्टर ज्यादा होता है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऊंचाहार और टांडा परियोजनायें, जो नई थीं, आधुनिक तकनीक से लैस थीं क्या अब वह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं रह गयी हैं ? और टांडा और ऊंचाहार परियोजना किस वर्ष में बेची गई है और उस समय किसकी सरकार थी ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न कहां है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, बड़ा सीधा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

यह आगे प्रश्न है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह बहुत बड़ा कारण है अगर मंत्री जी उचित समझे तो यह कारण जानकारी में आना चाहिये कि ऊंचाहार और टांडा किन परिस्थितियों में सरकार ने बेचा है क्योंकि वह नये थे। मुझे भी विभाग में छोटा सा काम करने का मौका मिला है जो नई विद्युत परियोजनायें होती हैं उनमें पीएलएफ ज्यादा होता है। मेरी जानकारी में टांडा और ऊंचाहार दोनों नये थे तो यह क्यों बेचे गये, किन परिस्थितियों में बेचे गये, यह सीधा सा प्रश्न बनता है। किस सरकार ने बेचे यह जानकारी का अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता को है। और मैं उस अधिकार का प्रयोग करते हुये माननीय ऊर्जा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं यह कब बेचे गये और क्यों बेचे गये, उस समय किसकी सरकार थी ? क्योंकि मैं मानता हूं कि आज की बरबादी की जिम्मेदारी वही दोनों पावर हाउस का बेचना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप उत्तर देंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया है। बार-बार यह रिवर्स गियर में गाड़ी क्यों चली जाती है ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर यह कह रहे हैं कि विकास के पहिये को रोकने में केन्द्र सरकार बहुत प्रयत्नशील है और उसी का हाथ है, इसका भी आप उत्तर दिलवा दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपकी पीठ से .....

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह विद्वान सदस्य हैं और जानते हैं प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। वैसे आपका अधिकार है, जब जिसको चाहे, बुलवा दें लेकिन प्रश्नकाल में व्यवस्था नहीं होती।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप सुन तो लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

कैसे सुन लें। पहले प्रमोद कुमार के प्रश्न का जवाब आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद जी, आपका जो प्रश्न है, सरकार चाहे तो जवाब दे, लेकिन यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, कदाचित मैं स्पष्ट कर दूंगा। आप प्रश्न को पढ़ लें। क्या ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी है तो मांग और उत्पादन में जो गैप है, उसी के संबंध में जानना चाहता हूं कि यह किन कारणों से है। इतनी देर में तो मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया होता।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न सख्या-4 भी इसी से संबंधित है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने दो में पूछ लिया तो कौन सा गलत हो गया। सरकार उत्तर दे दे, तो कोई छत नहीं टूटकर गिर जायेगी। मैं तो सिर्फ जानकारी चाह रहा हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह सही है कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली संकट है और अगर हमारा ऊंचाहार यूनिट और टाण्डा थर्मल पावर प्लांट नहीं बेचा गया होता और यह दोनों यूनिट हमारे पास होती तो आज यह संकट नहीं हो सकता था। यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय दोनों यूनिट बेच दिये गये और आज इसलिए भी संकट है और एन0टी0पी0सी0 की जो बात है तो जो भी हम लोग ऊंचे रेट पर पॉवर खरीदते हैं, उसके बाद भी कभी-कभी हमें एन0टी0पी0सी0 से बिजली नहीं मिलती है। अगर यह हमारी दोनों परियोजनाएं आज होती तो यह संकट न होता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मुझे आपने अनुमति दी थी।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, जो प्रश्न संख्या-4 है, यह भी बिजली से सम्बन्धित है, इसलिए पहले प्रश्न संख्या-4 ही ले लेते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने तो केन्द्र सरकार को बेचा था किसी अनिल अम्बानी या बजाज को नहीं बेचा था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार 29 अगस्त को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने का वार्षिकोत्सव मनाने जा रही है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 5 घोषणाएं की थीं, उसमें से बिजली की घोषणा पूरी नहीं हो पायी है। मैं जानना चाहता हूं कि जो विभिन्न योजनाओं का जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में किया है, उनकी प्रत्येक की पृथक-पृथक समयबद्धता की स्थिति आप बता दें और प्रश्न के दूसरे भाग में जो अनपरा-डी परियोजना की बात है तो उसको कब तक शुरू करने का सरकार टारगेट ले करके चल रही है, आप केवल इतना बता दीजिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जो बाजपेयी जी ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने, तो हम लोगों ने तो कभी सपने दिखाये ही नहीं, सपने तो दिखाने वाले ये ही लोग हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

खुद ही मुंगेरी लाल हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अगर इन्होंने वर्ष 1996 के बाद थोड़ा भी काम किया होता तो यह समस्या न होती लेकिन यह लोग तो बेचने में लगे रहे और सस्ते रेट में बेच दिया। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं,

रिलायंस के बारे में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमने प्रयास करके दिखा भी दिया है, कल भूमि पूजन हो गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

भूमि पूजन तो वी0 पी0 सिंह के दबाव में हुआ है, उसके भाई ने गैस देने से मना कर दिया और जब सरकार ने क्लियरेंस दिया ही नहीं तो उस भूमि पूजन का क्या औचित्य ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हम लोग तेजी के साथ प्रयास कर रहे हैं, यह जो यूनिट है, आप तो एक ही बार अनुबन्ध किये, हमने तो इतने अनुबन्ध कर दिये कि आगे चल करके बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर हमने जितने भी अनुबन्ध किये हैं, वह लग करके तैयार हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट टल जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप आनपारा-डी के बारे में बता दें कि काम कब से शुरू हो जाएगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने सभी योजनाओं पर पूछा है कि कब तक इन प्रस्तावित योजनाओं पर काम पूरा करके बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा, आखिर सरकार ने कुछ टारगेट तो रखा होगा।

श्री अध्यक्ष-

वह तो बता दिया है कि सब पर एग्रीमेन्ट हो गये हैं। बाकी बातें अगले प्रश्न में आ जाएंगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष जी, हमें अनुपूरक पूछने दीजिए, यह हमारा अधिकार है, आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आज बहुत काम है, समय कम है, आधा घण्टा एक ही सवाल पर हो गया है। आप क्या पूछना चाहते हैं, दूसरे प्रश्न पर पूछ लीजिएगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि दो साल का वायदा आखिर किन कारणों से पूरा नहीं हो पाया, उसका परिणाम यह हुआ कि जो इस बार गर्मी हुई, उससे हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आगामी वर्ष तक क्या कोई ऐसी योजना को मूर्त रूप देने का कोई टारगेट सरकार द्वारा बनाया गया है, जिससे कि आगामी गर्मी में इस बार की स्थिति न उत्पन्न हो।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय सदस्य ने जो अभी बताया, मान्यवर, लगातार सुधार हो रहा है, सितम्बर-अक्टूबर में भी कुछ सुधार होगा और आगे हमने जो यूनिटें आपको बतायी हैं कि अनुबन्ध किये हैं, इससे भी सुधार होगा, अभी हमारी पारीछा-220 तैयार हुई है, दूसरी भी तैयार हो जाएगी और इसी तरीके से हमारी विष्णु प्रयाग है, इससे भी हमको बिजली मिलेगी, इससे भी कुछ समस्या हल हो जाएगी।

रोजा, श्रीनगर, पारीछा और हरदुआगंज भी हैं। मेरा जो प्रयास है, वह अगर पूरा हो गया तो बिजली की समस्या दूर हो जायेगी।

(डा0 सुशील चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये। तारांकित प्रश्न संख्या-4 भी बिजली से ही सम्बन्धित है, उसमें पूछ लीजिएगा।

(तारांकित प्रश्न संख्या-4 पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी ऊर्जा की मांग व उत्पादन के सम्बन्ध में एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लगाया था, वह नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आया तो क्या करें ? आप कह रहे हैं तो इसको दिखवा लेंगे कि क्या परिस्थितियां थीं, क्यों नहीं स्वीकार हुआ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जब मेरा प्रश्न इसी विषय से संबंधित था तो इसी के साथ उसको भी सम्बद्ध कर देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, जब प्रश्न खत्म हो जाए तब इसे उठाइयेगा।

*3-डा0 अजय कुमार-

[1ले सोम0 के तारां0प्र0सं0-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में विद्युत की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार की योजना की जानकारी

*4-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश में अप्रैल, 2006 में कितनी विद्युत की आवश्यकता थी तथा कितनी विद्युत की उपलब्धता थी ? प्रदेश में किन-किन स्रोतों से विद्युत उपलब्ध हो रही है ? गर्मी के मौसम को देखते हुये विद्युत की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में माह अप्रैल, 2006 में औसतन प्रतिदिन लगभग 5800 मेगावाट प्रतिबन्धित मांग के सापेक्ष औसतन प्रतिदिन लगभग 5050 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता थी।

प्रदेश में निम्नलिखित स्रोतों से विद्युत उपलब्ध हो रही है :-

1-उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड

2-उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3-केन्द्रीय विद्युत गृह

4-विष्णु प्रयाग जल विद्युत गृह

5-द्विपक्षीय अनुबन्ध

6-को जनरेशन

जी हां विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न परियोजनायें स्थापित करने तथा पुरानी इकाइयों के रिफर्बिशमेन्ट/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है :-

1-2 × 210 मे0वा0 पारीछा तापीय परियोजना

2-2 × 500 मे0वा0 अनपरा "सी" परियोजना

3-2 × 250 मे0वा0 हरदुआगंज विस्तार परियोजना

4-2 × 250 मे0वा0 पारीछा विस्तार परियोजना

5-2 × 500 मे0वा0 अनपरा "डी" परियोजना

6-ओबरा "अ" विद्युत गृह (2 × 50 मे0वा0) की इकाइयों के रिफर्बिशमेन्ट का कार्य।

7-25X 200 मेगावाट ओबरा "ब" ताप विद्युत गृह के रिफर्बिशमेन्ट का कार्य।

8-हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-5 एवं 7 पर रु0 55.35 करोड़ की लागत वाली आर0 एण्ड एम0 स्कीम का कार्य

9-अनपरा "अ" ताप विद्युत गृह की 3×210 मे0वा0 इकाइयों हेतु नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य

10-ओबरा "अ" ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-6 (100 मे0वा0) के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से पहली जानकारी चाहूंगा कि जब सरकार बनी थी उस समय विद्युत की कितनी उपलब्धता थी कितना जनरेशन उत्तर प्रदेश में था और तीन वर्ष बाद उसमें कितनी वृद्धि हुई है एक छोटी सी जानकारी यह है ? दूसरी जानकारी चाहूंगा कि पीक आवर में कितनी आवश्यकता होती है अप्रैल, 2006 में बताया गया कि प्रतिदिन 5800 मेगावाट की आवश्यकता थी और 5050 मेगावाट की उपलब्धता थी। जब पीक टाइम होता है उस समय विद्युत की कितनी आवश्यकता होती है और कितनी उपलब्धता होती है इन दो प्रश्नों का उत्तर दिला दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हमने उपलब्धता को बढ़ाया है। आज के समय में 2500 मेगावाट में अपने श्रोतों से बाधाओं को पार करते हुए लगभग 500 मेगावाट अभी बढ़ाया है। आज की स्थिति में करीब 2558 मेगावाट टाण्डा को छोड़कर अपने श्रोतों से उपलब्धता है और केन्द्रीय सेक्टर से 3511 मेगावाट कुल मिलाकर हमारे पास उपलब्धता है 6246 मेगावाट की और जरूरत है 7251 मेगावाट की। हमने उपलब्धता को बढ़ाया है लेकिन विद्युत की डिमाण्ड बढ़ती रहती है कभी सूखा पड़ गया तो डिमाण्ड बढ़ गई कभी गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो डिमाण्ड बढ़ गई। पहले लोग एक ए0सी0 लगाते थे अब दो-दो, तीन-तीन

ए0सी0 लगाने लगे हैं कोई-कोई चार ए0सी0 लगाता है। तो डिमाण्ड तो बढ़ेगी ही लेकिन हमने उपलब्धता को बढ़ाया है। लगातार बढ़ाया है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं प्रश्नकर्ता हूं मैं दूसरा अनुपूरक करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पाल साहब का नाम पुकार लिया है पहले वह प्रश्न पूछ लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

गौर साहब आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है लेकिन और भी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। अध्यक्ष जी ने मुझे पुकार लिया है। आप बाद में पूछ लें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हमारा मूल प्रश्न था। हम सवाल नहीं करेंगे ? कल इन्होंने कितने प्रश्न पूछे थे हमने तो कुछ नहीं कहा। सभी सदस्यों का समान अधिकार है। एक दो सवाल हम भी पूछ लें उसके बाद पाल साहब पूछ लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पुकार लिया है। अगर इस तरह से सदन चलेगा तो फिर कैसे होगा ?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अभी मेरे प्रश्न का ही उत्तर नहीं आया है। मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं मिला है।

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने दीजिये। [xxx] लोगों को क्यों बुला रहे है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, कल मेरा चौथा प्रश्न था और अल्पसूचित में ही 40-50 मिनट लग गये। हमने तो कोई आपत्ति नहीं की कि हमारा प्रश्न क्यों नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब गौर साहब को पूछ लेने दें उसके बाद आप पूछ लीजियेगा। हम चाहते हैं कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले। आप बैठ जायं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह परम्परा उचित नहीं है।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आज महत्वपूर्ण दिन है आपके सदन का। 1952 के सदस्यों का अभिनन्दन होना है। हम चाहते हैं कि व्यवस्थित ढंग से सदन की कार्यवही जल्दी समाप्त हो जाय।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने गौर साहब को पूछने दिया उसके बाद आपने मुझे पुकार लिया और मैं खड़ा हो गया अब आप मुझे पुकारने के बाद फिर मुझसे कहें कि मैं बैठ जाऊँ।

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब पूछिये जो पूछना है। आपका आखिरी सवाल है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आखिरी सवाल है तो मैं दो तीन बातें पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि पीक ऑवर में उत्तर प्रदेश के अन्दर विद्युत की कितनी आवश्यकता होगी और कितना उत्पादन होता है। इसका उत्तर नहीं मिला। दूसरे पार्ट में उत्तर दिया है कि प्रदेश में निम्नलिखित स्रोतों से विद्युत उपलब्ध हो रही है-उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, केन्द्रीय विद्युत गृह, विष्णु प्रयाग जल विद्युत गृह, द्विपक्षीय अनुबन्ध और को जनरेशन। मैं जानना चाहता हूं कि इन 6 यूनिट्स से कितना-कितना उत्पादन हो रहा है। तीसरा मुझे यह जानकारी चाहिए कि जब सरकार बनी थी तब तो बहुत धूम धाम से कहा गया था कि हम गैस पर आधारित दादरी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह दूसरे सवाल में है आगे। फिर उसमें पूछ लीजियेगा।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह इसी से जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि 2500 एकड़ जमीन किसानों की उसमें ली गई है ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी काफी भ्रम पैदा कर रही है कि इतनी जमीन किसानों की रिलायंस को मुफ्त दे दी गई। मान्यवर, बिजली का प्रोजेक्ट लगाना किसी राज्य सरकार की न तो जिम्मेदारी होती है और न यह उसके बस का होता है। हम आपको भी इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराते कि आपने कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं लगाई। इसलिये जरूर जिम्मेदार ठहराते हैं कि कौन-कौन सी यूनिट्स आपने कम दामों पर बेच दी। यह भी ऐतराज गलत है कि कोई शुरुआत क्यों न करे ? मान्यवर, हम यह मानकर कि कोई योजना अगर पाँच साल में पूरी होनी है और हमारा कार्यकाल तीन साल का रह गया है। पता नहीं अगले चुनाव में हम जीत कर आते हैं कि नहीं आते हैं। हम लोगों को खुश करने के लिये छोटी-छोटी योजनाएं चलाने के बजाय बड़ी स्कीम देश के सामने रखें, प्रदेश के सामने रखें जिस समय चुनाव कोई मसला नहीं था, चुनाव कोई मद्देनजर नहीं था। राष्ट्र के हित के लिये, प्रदेश के हित के लिये किया

जा रहा है। राष्ट्र स्तर के प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, अभी यह बात कही गई कि 3 साल किसने देखे हैं ? मान्यवर, यह सही है कि 3 साल किसने देखे हैं ? लेकिन अगर यह मानकर कि तीन साल किसने देखें हैं कोई शुरुआत न करें तो राष्ट्र तो बहुत पीछे चला जायेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार और सहयोगियों की सरकार ने इस बात की शुरुआत की और अभी माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि तीन साल में स्कीम पूरी हो जायेगी। यह पूरा प्रोजेक्ट तैयार होकर प्रदेश को बिजली देने लगेगा। जहां तक दादरी योजना का सवाल है, अभी गौर साहब ने फिर कहा कि किसानों की जमीन लुटा दी गई। यह बिल्कुल गलत है, भ्रम पैदा करना है। प्रदेश की जनता के साथ फ्रॉड करना है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है और जो काम खुद नहीं कर सके वह किसी को नहीं करने देना चाहते हैं। कोई किसानों की जमीन जबरदस्ती नहीं ली गई है। किसानों से करार हुआ है। किसानों ने अपनी मर्जी से जमीन बेची है।

मान्यवर, जो जमीन बेची है किसानों ने उससे एक दिन पहले उसके बराबर की जमीन जिस कीमत पर बेची गई थी, उससे ढाई गुना, उससे साढ़े तीन गुना ज्यादा पैसा देकर जमीन खरीदी गई है। मान्यवर, यह बात मीडिया और समाचार-पत्रों के माध्यम से भी साफ होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का यह आक्षेप बिल्कुल गलत है। यह चाहते हैं ऐसे इल्जाम लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी योजना को रोकें। ताकि पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जैसा बताया हमें ओबरा से 527 मेगावाट, आनपारा से 1 हजार 255 मेगावाट मिल रही है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मेरा प्रश्न यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने पूछा, वह बता रहे हैं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

दूसरा भाग देख लें।

श्री अध्यक्ष-

यह पूछ रहे हैं कितनी-कितनी विद्युत मिल रही है ,

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

दूसरे भाग में छः चीजें बताई हैं। उसमें कितनी उपलब्ध हो रही है यह बता दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

कितने सवाल पुछवाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसकी सूचना है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मेरे पास सूचना है। कहिए तो इनके पास भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री जगदम्बिका पाल-

अभी अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का जो उत्पादन हो रहा है वह 25 सौ मेगावाट है तो वर्तमान में जो 25सौ मेगावाट उत्पादन राज्य विद्युत परिषद् के द्वारा हो रहा है यह अधिष्ठापित क्षमता के सापेक्ष कितना उत्पादन है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं प्रदेश में वर्तमान में, प्लान्ट लोड फैक्टर का कितना प्रतिशत है उसमें लाइन लॉसेस कितना हो रहा है। क्योंकि उत्पादन के सापेक्ष लाइन लॉसेस या विद्युत चोरी जो हो रहा है वह कितने प्रतिशत हो रहा है ? उसको रोकने के संबंध में सरकार ने कौन-कौन सी कार्यवाही की है ? क्या उपाय किए हैं ? क्या उत्तर प्रदेश के लाइन लॉसेस, जो नेशनल लॉसेस हैं उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश के लाइन लॉसेस अधिक हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आज हमारी क्षमता 6,246 और आपकी डिमाण्ड है 7,251 है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी यह जानना चाहते हैं आपकी अधिष्ठापित क्षमता जितना आपके पास है वह कितना है और कितना पैदा हो रहा है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

6,246 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है और पैदा कर रहे हैं 2500 मेगावाट।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो इन्होंने कहा है आज 5 हजार 50 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता है। मान्यवर, इसमें 25 सौ मेगावाट अपने प्रदेश के विद्युत गृह हैं उनके स्रोतों से मिल रहा है।....

मान्यवर, हमारे प्रदेश को एन0टी0पी0सी0 से या केन्द्र सरकार का जो कोटा है, उसमें कितना हमारा कोटा है और उसमें से कितना हमने उनसे लिया और जो नहीं लिया, उसका क्या कारण है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अभी केन्द्रीय सेक्टर से मुझे 3511 मेगावाट और अपने स्रोतों से लगभग 2500 मेगावाट, तो इस तरीके से कमी तो है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, इनका पूछना है कि जो केन्द्र से आप 3000 लेते हैं, जो केन्द्र से कोटा है, कितना मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जो कोटा है, वह पूरा नहीं मिल रहा है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

यदि पूरा कोटा नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं ?

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

जवाब आ जाने दीजिए, वह पूछ रहे हैं, आप क्यों खड़े हो गए ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जब मैं खड़ा होऊँगा तो असुविधा होगी और लोग खड़े होंगे तो असुविधा नहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की उत्पादन क्षमता 2500 मेगावाट है और .....

श्री अध्यक्ष-

आप कैसे उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, उत्तर तो आ जाने दीजिए।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, यदि कोटा पूरा नहीं मिल रहा है, कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

मिश्रा जी, आप भी जानते हैं।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि टिहरी में जो जनरेशन हो रहा, उसमें उत्तर प्रदेश को 40 प्रतिशत भाग मिल रहा है, यह 40 परसेण्ट जो मिल रहा है, इसको कन्ज्यूम करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी में वृद्धि की है ? हमारे बिजनौर में 220/32 के0वी0ए0 का उपकेन्द्र है, जो 35 वर्ष पहले बना था, तो मेरा प्रश्न है कि जो जनरेशन है, उसे आप खरीद भी लेते हैं तो यदि हमारे प्रदेश के जिलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है तो बिजली की खपत कैसे सम्भव होगी तो क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि के लिए मंत्री जी इसको इम्प्रूव करेंगे ?

(इस बीच श्री रंगनाथ मिश्र बोलते रहे, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, इनका कहना है कि जो संसाधन है, उनको बढ़ायेंगे ?

(श्री रंगनाथ मिश्र के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी खड़े हैं, उत्तर देने दीजिए।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह-

जो 220 के0वी0ए0 का बिजली घर है, उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि की जायेगी ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हम क्षमता को बढ़ा रहे हैं और क्षमता को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तहसील स्तर पर, और जनपद और मण्डल और महानगरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम 9 घण्टे बिजली दे रहे हैं। बिजली तो घटती बढ़ती रहती है। हम आज की स्थिति बता रहे हैं और सितम्बर में और क्षमता बढ़ा देंगे तो 14 घण्टे नहीं बल्कि 16 घण्टे बिजली देंगे।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, जनपद बुलन्दशर में 2 घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है। बुलन्दशहर के शिकारपुर में 2 घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है।

(भाजपा के कुछ माननीय सदस्यों के टोकाटाकी करने के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप क्यों बोल रहे हैं ?

कुँवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके यहां 5 प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए पड़े हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं आया है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे नियम-49 में संदर्भित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप लिखकर दे दीजिएगा। अब आप बैठ जाइये। भारतेन्द्र जी आप भी बैठिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे और आपने बीच में रोक दिया।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप लिखकर दीजिए हम उस पर विचार करेंगे।

(श्री सतीश महाना के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप सारे नियमों को जानते हैं आप बैठ जाइये।

प्रदेश में ट्रकों की ओवर लोडिंग रोकने की मांग

*5-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश में जिला मार्ग, स्टेट हाइवे तथा नेशनल हाइवे पर ट्रकों को कितना भार (लोड) लेकर चलने की अनुमति दी गयी है ? क्या ग्रामीण व जिला सम्पर्क मार्गों पर ओवर लोडिंग रोकने हेतु सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

भारत सरकार द्वारा माल तथा गाड़ी वजन मिलाकर निम्नवत् भार अनुमन्य किया गया है :-

(1) चार टायर-	12.00	टन
(2) छः टायर	16.2	टन
(3) दस टायर	25.00	टन
(4) बारह टायर	31.00	टन
(5) चौदह टायर	36.6	टन
(6) अट्ठारह टायर	44.00	टन

ओवरलोडिंग रोकने के लिए निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, आप मेरे मूल प्रश्न को देख लें और मेरे मूल प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

लगता है कि माननीय सदस्य प्रश्न का उत्तर नहीं सुन सके हैं मैं उसे दोबारा पढ़ देता हूं।

(उत्तर दोबारा पढ़ा गया।)

डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि भारत सरकार द्वारा माल तथा गाड़ी वजन मिलाकर जो भार अनुमन्य किया गया है वह 12 टन से लेकर 44 टन तक, यह चार टायर से अट्ठारह टायर तक का है। भारत सरकार की यह जो गाइड लाईन्स हैं, भूतल परिवहन मंत्रालय की, यह नेशनल हाईवे के लिए है। मैंने यह जानना चाहा था कि जिला मार्ग, स्टेट हाईवे की क्या स्थिति है ? तो क्या जिला मार्ग और सेक्टर मार्ग पर भी 44 टन भार लेकर गाड़ी चल सकती है ? क्या तीनों के लिए समान भार अनुमन्य है, या अलग-अलग भार की अनुमति है ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि अगर 12 टन से लेकर 44 टन तक चलाने की अनुमति है तो जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग 44 टन की लोड की क्षमता के अनुसार बनाये जा रहे हैं ? तीसरा मेरी जानकारी है, जिस वक्त केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य को धन नहीं जा रहा था तो प्रदेश सरकार ने पत्र लिखकर अवगत कराया था। उनकी आपत्ति थी कि राज्य में ओवर लोडिंग को नहीं रोका जा रहा है, 12 टन से अधिक लोड लेकर नहीं चलेंगे तो उसके आधार पर केन्द्रीय सड़क निधि से धन दिया गया। तो क्या यह वचन दिया गया, गलत है ? मैं इन तीन प्रश्नों के बारे में उत्तर चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन्होंने यह पूछा है कि कितना-कितना लोड लेकर किस सड़क पर चल सकते हैं तो इसके लिए मोटर वैहकिल्स ऐक्ट में प्राविधान है। अलग-अलग मार्गों के लिए अलग-अलग अनुमन्यता नहीं है। सभी प्रकार के मार्गों के लिए समान अनुमन्यता है। एक अन्तर है, आप कदाचित इसको दूसरे ढंग से ले रहे होंगे। जैसे नेशनल हाईवे पर चलने वाले बड़े वाहन हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले वह मुख्य मार्ग से छोड़कर कितनी दूर तक जा सकते हैं, कदाचित यह आपका प्रश्न होगा। यह

पूछियेगा तो मैं उत्तर बता दूंगा। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैंने बता दिया है कि सभी प्रकार के मार्गों पर कितना वजन लेकर के कौन सी गाड़ी चल सकती है उसकी अनुमन्यता मोटर यान ऐक्ट में एक समान है। अलग-अलग सड़कों पर अलग-अलग वेट ले जाने की परमीशन उनको नहीं है। दूसरी बात जब यह सरकार अस्तित्व में आयी तो जो पहली सरकार थी, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। उसने नाजायज कृत्य करने के लिए ओवर लोडिंग एलाऊ कर दी, चोरी एलाऊ कर देंगे कमीशन हमको दो। नाजायज कृत्य करने के लिए जो मोटर वैहकिल्स ऐक्ट में एलाउड ही नहीं था उसमें यह प्राविधान कर दिया कि एक हजार रुपया लेकर गोल्डन टोकन जारी कर दिया कि अब कोई चैकिंग नहीं होगी। चाहे भार एक टन का हो या फिर 6 टन का हो। इससे सड़कों की हालत बदतर हो गयी। जब मुलायम सिंह जी की सरकार आयी, (व्यवधान) केन्द्र सरकार से रोक लगायी गयी कि जब तक आप ओवर लोडिंग को प्रभावी ढंग से बन्द नहीं करेंगे, नाजायज कार्य बन्द नहीं करेंगे तब तक सड़कों के अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि है, पहले वर्ष 570 करोड़ रुपया थी, उन्होंने रोक रखा था 2003-04 के लिए कि जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक नहीं देंगे, हम लोगों ने यह प्रस्ताव पारित किया और इसको प्रभावी ढंग से लागू किया कि यह गोल्डेन टोकन, सिल्वर टोकन को खत्म किया जाय और जितना भार मोटर वैहकिल्स में अनुमन्य है अलग ही भार लेकर जाने दिया जाय। इसलिए वह टोकन प्रणाली लागू नहीं है और मोटर वैहकिल्स ऐक्ट का पालन अक्षरशः उत्तर प्रदेश में हो रही है।

डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि गोल्डेन टोकन को खत्म कर दिया। गोल्डेन टोकन से एक हजार रुपया प्रति गाड़ी सरकारी खजाने में जा रहा था। तो क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि आजकल गोल्डेन टोकन की जगह पर आर0टी0ओ0 का टोकन ओवर लोड में चल रहा हैं, या विभिन्न तरह की सिम्बोलिक चीजें हैं, मेरे जनपद में मार पीट परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई। तो क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सरकारी खजाने में जो एक हजार रुपया प्रति गाड़ी जा रहा था वह इन दलालों के माध्यम से सत्ता तक जा रहा है और उसके टोकन हैं, चल रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ट्रकों में जाति विशेष लिख दिया जाता है और वह आल टोकन हो जाता है, यू0पी0 बार्डर क्रास करता रहे।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् इनका चश्मा ऐसे नम्बर का है कि वह जब लगाते हैं तो या तो उसमें जाति नजर आती है या धर्म नजर आता है। तो उनको अगर कोई जाति धर्म लिखे होने से कोई परेशानी है एतराज है तो उसका प्राविधान है। वह जो चीज देखना शुरु करेंगे वह मंदिर में भी जायेंगे तो पूछेंगे कि यह भगवान की जाति क्या है, कौन जाति वाला है तो जाति और धर्म के चश्में से देखने वाले लोगों को यह बता दिया जाय। मैं बताना चाहता हूं इस सदन में कि न तो गोल्डेन टोकेन और न रांगा वाला टोकेन, न कागज का टोकेन है ओवरलोडिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ओवरलोडिंग करने वालों के लिये हम लगातार प्रवर्तन का कार्य करते हैं। मान्यवर, मैं फीगर दे सकता हूं यह 2006-07 में यानि अप्रैल से लेकर जून, 2006 तक हमने जो प्रवर्तन का काम किया है। इसमें ओवरलोडिंग के सर्वाधिक मामले हैं उसमें चालान 56,629 वाहनों का हुआ है और उसके सापेक्ष जो राशि उपलब्ध

हुई है वह न्यायालय द्वारा जुर्माना 54.39 लाख हुआ है, प्रशमन शुल्क 12.17 करोड़ हुआ है और मार्ग पर करों की वसूली में 11.40 करोड़ हुआ है। इसलिये हम पूरी तरह से प्रर्वतन कर रहे हैं और जब भी प्रवर्तन में हमारे एक भी ओवरलोडिंग गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसका नियम है कि 2000 रुपया ओवरलोडिंग प्लस प्रतिटन एक हजार रुपये और एक टन के ऊपर अगर एक किलोग्राम भी बढ़ जाता है तो भी हम एक टन का ही चार्ज करते हैं। इतने दर से इस तरह से उनसे दंड की वसूली हो रही है। इसलिये आप कह रहे थे तो गोल्डेन टोकेन वाला जमाना तो चला ही गया और जो जाली टोकेन हुआ करता था किसी सरकार में 2003 अगस्त के पहले वह भी खत्म हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं है। सीधे-सीधे कानून के प्रावधान लागू हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

सबसे ज्यादा केसेज पकड़े गये हैं ओवरलोडिंग के, इससे जाहिर है कि ओवर लोडिंग हो रही है। आप लिस्ट पढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने इजाजत नहीं ली ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपने इजाजत दी, तभी तो मैं खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो दूददू प्रसाद जी को कहा है।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मेहरोत्रा जी की और इस सदन के सभी सदन के सभी सदस्यों की चिन्ता है कि ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण होता है उनकी स्ट्रेन्थ कम होती है वनस्पति नेशनल हाइवे के। तो यह जो एक समान लोड लेने का जो नियम है तो क्या ग्रामीण सड़कों को भी सुदृढ़ करके नेशनल हाइवे की क्षमता के अनुसार बना दिया जायेगा अथवा क्या जो ग्रामीण सड़कों पर इतना भार लेकर ट्रक जाते हैं तो या तो उनमें कमी कर दी जाय ? पूरे प्रदेश में यह समस्या है खास तौर से जहां माइनिंग होती है बालू का खनन होता है, पत्थर का खनन होता है वहां के स्टेट हाइवे, जिला मार्ग और ग्रामीण सड़कों की बहुत बुरी दशा हो रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, लोक निर्माण मंत्री यहां पर मौजूद हैं तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों कटैगरी के लिये नेशनल हाइवे स्टेट हाइवे और जिला मार्ग के लिये अलग-अलग भार क्षमता निर्धारित किया जाय अथवा उनकी एक समान क्षमता की सड़क बनाने का कार्य सरकार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दद्दू प्रसाद जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह चिन्ता वास्तविक है, अवास्तविक नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं यह मोटर व्हैकिल ऐक्ट हमारे स्टेट का ऐक्ट नहीं है। यह सेन्ट्रल ऐक्ट है और केन्द्रीय अधिनियम होने के नाते उसमें संशोधन का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है।

मान्यवर, यद्यपि आपकी यह बात बिल्कुल गम्भीर है और सचमुच में ऐसे प्राविधान होना चाहिये कि बड़े चक्के वाली जो ट्रकें हैं, उनका जाना उस पर प्रतिबंधित होना चाहिये। यदि इस बारे में आप चाहें तो कोई संकल्प आ जायेगा और हम भारत सरकार को अपने प्रदेश की इस चिन्ता को भेजने का काम करेंगे। संकल्प यदि इस तरह का आ जाय तो यह कोई बात नहीं है लेकिन मान्यवर, प्रावधान जो आज के हैं, वह मोटर वेहिकल ऐक्ट में जो प्रावधान हैं, इनके तहत हमने ओवरलोडिंग की जो सीमा आपको बताई, इसको ज्यादा लोगों की अवेकनिंग हो सके, ज्यादा लोग जागरूक हो सकें, इसलिये सभी सरकारी विभागों में, निगमों में, सीमेंट फैक्ट्री में, खाद फैक्ट्री में, मौरंग-गिट्टी खनन के इलाके में, सभी जगहों पर अलग से निर्देश भेज रखे हैं कि ओवरलोडिंग किसी भी हालत में एलाऊ न करें। लेकिन बड़ी ट्रकों वाली आपकी बात चिन्ताजनक हैं और इस बारे में भारत सरकार से अनुरोध किया जाना चाहिये, मैं इस राय का हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि परिवहन ऐक्ट सेन्ट्रल ऐक्ट है, जिसके कारण इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जिला मार्ग या ग्रामीण मार्ग पर जाने का। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या ग्रामीण मार्ग और जिला मार्गों को, उसकी स्ट्रेन्थ बढ़ाकर उसके अनुकूल बनाया जायेगा, जिससे वह क्षतिग्रस्त न हों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने जो बात कही है, एक बात उसमें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की। यद्यपि हमारी चिन्ता है, किन्तु जो बनावट है, जो गाड़ियों की, जो इंजीनियरिंग की। श्रीमन् सड़कों की जो बात आपने पूछी है तो जिस गुणवत्ता की सड़कें इस सरकार के जमाने में बनी हैं, कीर्तिमान है अपने आप में, कि इस गुणवत्ता की सड़कें कभी भी नहीं बनी चाहे इसके पहले जो भी सरकारें रही और मान्यवर, ग्रामीण सड़कों तक को हाट मिक्स प्लान्ट से बनाने का काम किया गया है, इतनी गुणवत्ता की सड़कें इसके पहले कभी नहीं बनी। चिन्ता आपकी अकारण है। चिन्ता आपने तब की होती, जब आप सरकार में थे तो हम मानते कि ईमानदार चिन्ता है और आलोचना के लिये अगर कहना चाहते हैं तो एक जानकारी सदन को दे दूं यद्यपि बड़ी ट्रकों से ज्यादा लोड करके ज्यादा नुकसान होने की स्थिति होती है, लेकिन वह तब होती है जब वह ओवरलोडिंग करती हैं अपनी सीमा में अगर वह लोड करेगी तो जितने ज्यादा टायर होते हैं, उतने ज्यादा एक्सल होते हैं और जितने एक्सल होते हैं, उसके हिसाब से लोड उसका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्वाइंटेड लोड नहीं होता हैं इसलिये अगर वह अपनी सीमा में लोड करें, जैसे 12 ट्रक का टायर 31 टन का वजन ही ले, खाली ट्रक और वजन मिलाकर के, तो उससे सड़क नहीं टूटेगी। होता यह है कि 31 टन के बजाय उसका वजन 50 टन हो जाता है तब सड़कें टूटती हैं। इसलिये मान्यवर, हमारा प्रयास यह है कि ओवरलोड न हो और ओवरलोडिंग नहीं होती तो सड़क पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा।

डा0 सुशील चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। आपने ट्रक्स के बारे में तो डिटेल से बताया, 6 टायर से 18 टायर तक। ट्रैक्टर ट्राली जो 300-300 क्विंटल तक उठाकर ले जाती हैं, उसके ऊपर क्या माननीय मंत्री जी ओवरलोड का प्रतिबंध लगायेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ट्रैक्टर ट्राली जो है ट्रैक्टर ट्राली कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये इस्तेमाल नहीं हो सकती और कृषि कार्यों के अतिरिक्त अगर किसी कार्य में इस्तेमाल होती है तो उनका चालान किया जाता है, वह नियम विरुद्ध है।

दादरी में रिलाइन्स ग्रुप व सरकार के बीच बिजली उत्पादन हेतु ली गयी काश्तकारों की जमीन वापस करने की मांग

*6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दादरी में रिलाइन्स (अनिल अम्बानी ग्रुप) को बिजली का कारखाना लगाने के लिये उ0 प्र0 सरकार द्वारा कितनी जमीन किस दर पर दी गयी है ? सरकार व रिलाइन्स ग्रुप (अनिल अम्बानी ग्रुप) के बीच बिजली उत्पादन कब से प्रारम्भ होने का करार हुआ था ? क्या इस करार के पालन में कोई बाधा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिजली उत्पादन प्रारम्भ न होने की दशा में जमीन काश्तकारों को वापस देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सरकार द्वारा 2100 एकड़ जमीन अधिग्रहीत करके परियोजना हेतु उपलब्ध करा दी गयी है।

किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि के मुआवजा का भुगतान रु0 150 प्रति वर्ग गज की दर पर किया गया। ऊर्जा नीति के प्रस्तर 1.1.2 (बी) के अनुसार मुआवजा की राशि में 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत कम्पनी द्वारा दिया गया।

दिनांक 16 जून, 2004 को हस्ताक्षरित स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट के अनुसार वर्ष 2011 तक बिजली उत्पादन होने का करार है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो छोटे-छोटे सवालों के उत्तर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल है कि 3740 मेगावाट का यह कारखाना है, इसके लिये मानक के अनुसार कितनी जमीन आवश्यक थी और ज्यादा जमीन क्यों दी गई ? दूसरा सवाल यह है कि इस जमीन का मार्केट वैल्यू और सर्किल रेट में कितना अन्तर है ? इन दोनों सवालों के जवाब आप दे दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह जो तापीय विद्युत तन्त्र ऊर्जा केन्द्र लग रहा है।

विपक्ष की ओर से-

तापीय नहीं गैस है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हां, गैस का है। पहली बात तो यह है कि 5 हजार मेगावाट का है, जो आपने बताया वह नहीं है, यह 5 हजार मेगावाट का है। और किसी भी बड़े प्लान्ट को लगाने के लिये जमीन की जरुरत तो होती ही है। अभी आप 3 हजार 3 सौ कुछ का बता रहे हैं यह 5 हजार का हो गया है। इसमें

जितनी जरुरत थी यानि कि 2 हजार 1 सौ एकड़ जमीन की जरुरत थी वह ले ली गई है और जो वहां का सर्किल रेट है, मैं उसको भी बता देता हूं, वहां पर एक गांव देहरा है, दूसरा गांव ब्रह्मन्तपुर है, मान्यवर, सभी जगह पर सर्किल रेट अलग-अलग है। राजस्व ग्राम धौलानारज का है 27.831, ब्रह्मन्तपुर रकबा में 116.91 है और तकराना और नन्दलालपुर रकबा का है 131.853, यह वहां का सर्किल रेट है। और हमने जो दिया है वह है 150 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से। इस प्रकार से हमने वहां पर इस सर्किल रेट से भी बढ़कर दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, औसत सर्किल रेट बता दें।

श्री अध्यक्ष-

हर गांव का अलग-अलग बतायेंगे, आप पहले सुन तो लें। वहां का सर्किल रेट 150 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से था और हमने इस सर्किल रेट से भी बढ़ करके दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्न करता हूं, मान्यवर, 330 मेगावाट का कारखाना लगाने के लिये केवल 17 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है और अगर 5 हजार मेगावाट के हिसाब से देखा जाय तो लगभग 500 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं दी जानी चाहिये। मान्यवर, एक तो 21 सौ एकड़ जमीन दी गई है, दूसरे औसत सर्किल रेट 3 सौ रुपये मीटर से ज्यादा है, जब कि 150 रुपये में दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न तो पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि हम प्रदेश की जनता को हरगिज नहीं चाहते हैं कि गुमराह करें, लेकिन सच्चाई पूरे प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिये, 500 एकड़ जमीन के स्थान पर 2100 एकड़ जमीन दी गयी और जिस जमीन का सर्किल रेट 300 रुपये प्रतिवर्ग मीटर है, उसको 150 रुपये में दिया गया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

जवाब सुनिये, भाषण देने का समय नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय सदस्य ने संसदीय कार्यमंत्री जी का हवाला दे करके बताया है, मैं बता दूं यहां एक इंच जमीन भी सरकार ने एक्वायर नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है, गलतबयानी कर रही है.....

(श्री राम करन आर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

राम करन आर्य जी, आप कहां से जवाब देंगे, क्या आपके पास अथारिटी है ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल का समय समाप्त हुआ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरी बात आ जाए। दूसरी सूचना यह है कि जो जमीन कच्चा बीघा 35 हजार रुपये बीघे की जमीन थी।...

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

गलत बोल रहे हैं तो विशेषाधिकार में दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है और किसानों की जमीन बहुत सस्ती दर पर अधिग्रहीत कर ली है। सरकार के किसान विरोधी रवैये के कारण मैं इसके विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह सरकार सदन को गुमराह कर रही है और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता गुमराह हो रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो जमीन कच्चा बीघा 35 हजार रुपये बीघे की थी, किसानों को उस जमीन की कीमत 1 लाख 60 हजार रुपया प्रति बीघा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश का विकास नहीं चाहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता में ब0 स0 पा0 और भा0 ज0 पा0 दोनों हैं, ये किसानों के हितैषी नहीं हैं, दुश्मन हैं, इनको किसानों से क्या लेना हैं ?

प्रदेश में बिजली की समस्या से निजात पाने हेतु योजना

*7-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली की समस्या से निजात पाने हेतु कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां।

विद्युत संकट से निपटने हेतु कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न परियोजनायें स्थापित करने तथा पुरानी इकाइयों के रिफर्बिशमेन्ट/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है :-

1-2x210 मे0 वा0 पारीक्षा तापीय परियोजना

2-2 x500 मे0 वा0 अनपरा "सी" परियोजना

नोट :-ता0प्र0सं0-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

3-2×250 मे0 वा0 हरदुआगंज विस्तार परियोजना

4-2×250 मे0 वा0 पारीक्षा विस्तार परियोजना

5-2×500 मे0 वा0 अनपरा "डी" परियोजना

6-ओबरा "अ" विद्युत गृह (5×50 मे0 वा0) की इकाइयों के रिफर्बिशमेन्ट का कार्य।

7-5×200 मेगावाट ओबरा "ब" ताप विद्युत गृह के रिफर्बिशमेन्ट का कार्य।

8-हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-5 एवं 7 पर रु0 55.35 करोड़ की लागत वाली आर0 एण्ड एम0 स्कीम का कार्य।

9-अनपरा "अ" ताप विद्युत गृह की 3x210 मे0 वा0 इकाइयों हेतु नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य।

10-ओबरा "अ" ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-6 (100 मे0 वा0) का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रिहन्द जलाशय की दीवारों की दरारों को पाटने की जानकारी

*8-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि रिहन्द जलाशय की दीवारों में दरार आ गयी है ? यदि हां, तो सरकार दरार पाटने हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित रिहन्द बांध संरचना व्यवहार अनुश्रवण समिति की अनुशंसाओं के अनुसार बाँध में कैक्स को भरने का कार्य एपॉक्सी मैटेरियल से ग्राउटिंग कर किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से समय-समय पर अन्य आवश्यक कार्य भी करवाये जाते है। तत्पश्चात रिहन्द बाँध स्थायी समिति करवाये गये कार्यों की समीक्षा करती है।

1-सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य रूप से मशीन संख्या-4 के इनटेक की सतह पर आई दरारों को भरने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

2-सभी मशीनों के इनटेक की सतह पर बॉध के अप स्ट्रीम फेस में 835 फीट से 879 फीट के बीच एपॉक्सी ग्राउटिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

3-बॉध की शेष सतह की अण्डर वाटर मैपिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने के बाद इन पर ग्राउटिंग का कार्य एक-एक करके किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

जनपद-बुलन्दशहर में खुर्जा डिपों के जीर्णोद्धार हेतु अवमुक्त धन में की गई अनियमितता की जांच

1-श्री मुन्शी लाल गौतम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर में खुर्जा डिपो के जीर्णोद्धार के लिये अवमुक्त धन के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में कितना कार्य किया गया ? क्या यह सत्य है कि उक्त

धन से कराये गये कार्यों में अनियमितता पाई गयी है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

जनपद-बुलन्दशहर में खुर्जा डिपो के सुधार कार्य के लिए अवमुक्त धन के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में सम्पूर्ण कार्य सम्पादित कराया गया था। उक्त के सम्बन्ध में कतिपय शिकायत प्राप्त हुयी थी।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है। तदोपरान्त समुचित कारवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के विद्युत उपकेन्द्र मदनापुर के ग्राम-नवादा रूद्रपुर के खराब ट्रांसफार्मर को ठीक कराने की मांग

2-श्री गंगा बख्श सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-शाहजहांपुर के विद्युत उपकेन्द्र, मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम नवादा रुद्रपुर में लगा विद्युत ट्रांसफारमर लगभग डेढ़ वर्ष से खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रांसफारमर को कब तक ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत ट्रांसफारमर माह जुलाई, 2006 में लगाकर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के पुराना किला कैन्ट रोड पर रखे ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

3-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि लखनऊ के पुराना किला (बाबू बनारसी दास नगर) कैन्ट रोड पर साहनी साइकिल स्टोर के बगल में बिजली का ट्रांसफारमर सड़क पर रखा है जिससे सड़क का यातायात बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त ट्रांसफारमर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बिजली का ट्रांसफारमर फ्लाई ओवर के नीचे प्लिंथ पर रखा गया है, जिससे सड़क का यातायात प्रभावित नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सड़क के यातायात में प्रश्नगत ट्रांसफारमर से किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, अतः उसे अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद-गोरखपुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैम्पियरगंज के प्रशिक्षण ट्रेडों को बढ़ाने की मांग

4-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैम्पियरगंज में मात्र चार ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जबकि कम से कम 8 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो अन्य 4 ट्रेडों का संचालन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की प्रशिक्षण नियमावली में व्यवसाय एकक संचालित किये जाने की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है।

जनपद-गोरखपुर में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खजनी में शासन द्वारा सृजित पदों की जानकारी

5-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि गोरखपुर जनपद में राजकीय आई0 टी0 आई0 खजनी (बहुरीपार) में कितने पद सृजित किये गये हैं तथा वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर सरकार द्वारा कब तक तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

गोरखपुर जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खजनी (बहुरीपार) में शासन द्वारा सृजित पदों की संख्या निम्नवत है:-

पद का नाम	संख्या
प्रधानाचार्य	01
कार्यदेशक	01
अनुदेशक कला/गणित	01
व्यवसाय अनुदेशक	08
भण्डारी	01
वरिष्ठ लिपिक	01
कनिष्ठ लिपिक	01
भण्डार परिचर	01
कार्यशाला परिचर	01
चपरासी	01
चौकीदार	02
स्वीपर	01

वर्तमान में प्रधानाचार्य-1, कार्यदेशक-01, अनुदेशक कला/गणित-01 एवं व्यसाय अनुदेशक के 06 पद रिक्त है।

प्रधानाचार्य के रिक्त पद की भर्ती हेतु अधियाचन दिनांक 28-4-2006 को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद भेजा गया है। कार्यदेशक के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में सेवा नियमावली विचाराधीन है तथा अनुदेशकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं हो पा रही है क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में स्थगनादेश पारित किया गया है।

परिवहन विभाग के आर0 आई0 तथा पी0टी0ओ0 संवर्ग के आरक्षण कोटे को पूरा कराने की मांग

6-श्री राम हेत भारती-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिवहन विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने आर0 आई0 एवं पी0 टी0 ओ0 संवर्ग में कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या आर0 आई0 तथा पी0 टी0 ओ0 संवर्ग से पदोन्नति कोटे में से ए0 आर0 टी0 ओ0 के पद पर आरक्षण कोटा पूरा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

परिवहन विभाग में आर0आई0 एवं पी0टी0ओ0 संवर्ग में अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी नहीं है।

जी नहीं।

पोषक संवर्ग में पात्र कर्मी उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के रिक्त पदों को भरने की मांग

7-श्री देवनारायण सिंह उर्फ जी0 एम0 सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद-गोरखपुर में लेबर कोर्ट एवं इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल-6 में न्यायाधीश के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी हां।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के रिक्त पदों को भरने हेतु पीठासीन अधिकारी (नियुक्ति एवं नियोजन की शर्तें) नियमावली, 1996 के तहत रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण नीति के अनुसार रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था तद्नुसार विवरण उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है तथा रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों/राज्य न्यायिक सेवा के सदस्यों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु उनसे पुनः अनुरोध किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय से नाम प्राप्त होते ही चयन समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराकर नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

डुमरियागंज के पूर्व प्रधान द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग

8-श्री देव नारायण सिंह उर्फ जी0 एम0 सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, पंचायती राज के अर्ध0 शा0 प0 सं0-15 ज0 प0/33/06/पं0 राज अनुभाग-1 लखनऊ द्वारा दिनांक 05-05-06 को जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को ग्राम सभा-मेटी हरदो विकास खण्ड-डुमरियागंज के पूर्व प्रधान द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा उक्त जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण की जांच अभी प्रचलित है, जिसके पूर्ण होने के पश्चात् गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद-प्रतापगढ़ में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-2/618625 दिनांक 26-4-06 ब्लाक पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के 9 ग्रामों के विद्युतीकरण एवं ब्लाक मंगरौरा के 9 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु पत्र संख्या-ख-2/998740 दिनांक 26-04-06 एवं ब्लाक आसपुर देवसरा के 6 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु पत्र संख्या-ख-2/998741 दिनांक 26-04-06 राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

संदर्भित पत्रों में उल्लिखित विकास-खंडवार ग्रामों के विद्युतीकरण की कार्यवाही निम्नवत् है :-

अद्यतन स्थिति

अगस्त, 2006 में कार्य पूर्ण हो जायेगा।

तदैव।

मार्च, 2006 में विद्युतीकृत।

रा0गा0वि0 योजना के परिभाषानुसार विद्युतीकृत।

10 अगस्त, 2006 को विद्युतीकृत।

सितम्बर, 2006 में कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

तदैव।

कार्य प्रगति पर है अगस्त, 2006 में पूर्ण हो जायेगा।

सितम्बर, 2006 में कार्य पूर्ण किया जायेगा।

अगस्त, 2006 में कार्य पूर्ण हो जायेगा।

मई, 2006 में विद्युतीकृत।

रा0गा0वि0 योजना के परिभाषानुसार विद्युतीकृत।

सितम्बर, 2006 में कार्य पूर्ण किया जायेगा।

10 अगस्त, 2006 को विद्युतीकृत।

अप्रैल, 2006 में विद्युतीकृत।

सितम्बर, 2006 में कार्य पूर्ण किया जायेगा।

तदैव

मार्च, 2006 में विद्युतीकृत।

सितम्बर, 2006 में कार्य पूर्ण किया जायेगा।

तदैव

तदैव

मार्च, 2006 में विद्युतीकृत।

10 अगस्त, 2006 को विद्युतीकृत।

तदैव

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत कराने की मांग

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-2/998716 दिनांक 26-4-06 प्रमुख सचिव, ऊर्जा/अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन को, जो जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 8 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण कराने एवं 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र नरहरपुर, करैली, ढखवा, हरीपुर बरदेता, साल्हीपुर कंजास, आमापुर, सैफाबाद, ढिढुयी के परिचालन एवं अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु लिखा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 08 ग्रामों में से विकास खण्ड पट्टी के 04 ग्राम क्रमशः पहलमापुर, मजैटी, दैतापुर एवं बेलारामपुर एवं विकास खण्ड आसपुर देवता के एक ग्राम सुजान पट्टी के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष तीन ग्राम अलीपुर, गोपालपुर एवं चांदपुर के विद्युतीकरण का कार्य सितम्बर, 06 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र हरिपुर बरदैता, साल्हीपुर कजास, आमापुर सैफाबाद ढिढुई पर परिचालन कार्य चल रहा है। नरहरपुर एवं करैला का परिचालन एवं अनुरक्षण के कार्य हेतु अनुबन्ध हो चुका है। माह अगस्त, 2006 के अन्त तक परिचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ढकुवा में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण पूरा करने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध न होने के कारण कार्य बाधित है। सामग्री प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 में बिना स्वीकृत पद के प्रोन्नति दिये जाने विषयक पत्र

11-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशेष सचिव श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 का पत्रांक 2244/पी0 एस0-एच0 ई0 दिनांक 11-7-06 जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है और जिसमें उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में बिना स्वीकृत पद के प्रोफार्मा प्रोन्नति देकर रुपये 32.00 लाख की क्षति पहुंचाने का बिन्दु उठाया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के चारबाग स्थित श्री हरभजराम कृपा देवी धर्मार्थ अस्पताल के सामने लगे ट्रान्सफार्मर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

12-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखनऊ में चारबाग स्थित श्री हरभजराम कृपा देवी धर्मार्थ अस्पताल के सामने ट्रान्सफार्मर लगा होने के कारण इलाज के लिए आने वाले रोगियों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रान्सफार्मर को अन्यत्र स्थानान्तरित कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

परिवर्तक तकनीकी आधार पर सही स्थान पर स्थापित किया गया है तथा इस परिवर्तक के स्थापना से अस्पताल में आने वाले रोगियों को कोई कष्ट नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ, जुगौली गांव में घरों के ऊपर से जा रहे 11000 वोल्ट के तारों को हटाने की मांग

13-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित गोमती पार जुगौली गांव में घरों के ऊपर से 11000 वोल्ट के तार जा रहे हैं जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो उक्त तारों को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जुगौली गांव में पूर्व निर्मित 11 हजार वोल्ट की लाईन के नीचे लोगों ने अपने घर बना लिये हैं।

नियमतः पूर्व निर्मित लाईन को हटाने पर आने वाले व्यय आवेदनकर्ताओं को वहन करना होता है। मा0 विधायक श्री विद्यासागर के पत्र दिनांक 09-03-04 द्वारा किये गये अनुरोध पर लाईन हटाने का प्राक्कलन तैयार कर उनके विधायक निधि से धन आवंटित करने हेतु पत्र सं0-1079-विविख-गो0न0, दिनांक 17-3-04 द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अभिकरण से अनुरोध किया गया था। प्रश्नगत धनराशि प्राप्त हो गयी है। लाइन हटाने का कार्य प्रगति पर है जिसके अन्तर्गत 9 खम्भे खड़े कर दिये गये हैं लेकिन आगे का कार्य आर्मी द्वारा विरोध किये जाने के कारण लम्बित है।

माननीय विधायक जी से विद्युत लाइन निर्माण हेतु रास्ता चयनित (राइट आफ दि वे) करने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति न होने से किसानों में व्याप्त रोष

14-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण किसानों में रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने हेतु क्या कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। विद्युत की उपलब्धता में कमी के कारण निर्धारित अवधि में भी विद्युत की आपात कटौती करना प्रणाली की सुरक्षा हेतु कभी-कभी आवश्यक हो जाता है। विद्युत की उपलब्धता के बढ़ाये जाने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जिससे कि प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके। जिन जनपदों में आपूर्ति प्रभावित होती है, उनके सप्लाई के घण्टे समीक्षा कर सुधार किया जाता है।

वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

विद्युत उपलब्धता में कमी के कारण 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की योजना वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन में कम्प्यूटरों के क्रय में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच

15-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत क्रयादेश संख्या-554 ई0एस0 पी0सी0-111 दि0 19-02-2001 द्वारा 298 कम्प्यूटर खरीदे गये थे ? क्या खरीदे गये कम्प्यूटरों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप थी ? क्या यह सत्य है कि जिस फर्म से कम्प्यूटर की खरीद की गयी थी उसे उ0 प्र0 सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया था ? यदि हां, तो कम्प्यूटर खरीदने के प्रस्ताव का अनुमोदन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब दिया गया ? क्या इस सम्बन्ध में मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 15-04-06 एवं 15-7-2006 जोकि मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कम्प्यूटर क्रय में करोड़ों का घोटाला देखते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, मात्र 290 नग कम्प्यूटर खरीदे गये थे।

जी हां।

कम्प्यूटरो की खरीद मैसर्स ऐसर इण्डिया प्राइवेट लि0 से की गयी थी। ये फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं की गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का परीक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के विद्युत उपभोक्ताओं के गलत बिल बनाये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

16-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (रेजीडेंसी एवं हुसैनगंज) लखनऊ के विद्युत उपभोक्ताओं के गलत बिल बनाये जाने के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक श्री नन्दलाल जायसवाल, महामंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 16-1-2006, 9-4-2006 जिसको दिनांक 2-2-2006, 20-4-06 को अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 एवं मुख्य महाप्रबन्धक (लेसा) लखनऊ को दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

बिन्दुवार प्रकरण की जांच की गयी। कोई दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम में की गयी अनियमित प्रोन्नतियां एवं नियुक्तियां करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

17-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 जल विद्युत निगम में की गई अनियमित प्रोन्नतियों एवं नियुक्तियां करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-12-2005 मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0 एवं निदेशक (तकनीकी), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

18-श्री राम करन आर्य-

[2सरे सोम0 के अता0प्र0सं0-83 पर स्थानान्तरित]

प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक जानकारी

19-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में 30 जून, 2006 तक कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है और उस पर कितनी धनराशि व्यय की जा रही है ? क्या अशिक्षित बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि बेरोजगारों को 35 वर्ष की आयु के बाद भी बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

प्रदेश में दिनांक 30-6-2006 तक 50,940 पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है और इस पर रुपये 5,09,40,000/-की धनराशि व्यय की गयी है।

जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है।

उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2006 में प्राविधानित पात्रता के अनुसार दिनांक 28-2-2006 को पात्र अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रकार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 35 वर्ष की आयु के बाद बेरोजगारी भत्ता अनुमन्य नहीं है।

पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में हुए करोड़ों के बिजली घोटाले विषय पत्र पर कार्यवाही की मांग

20-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में हुए 50 अरब एवं 9.00 करोड़ के बिजली घोटाले की अधिसूचना जारी करने विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 30-03-2006 एवं 5-7-2006 मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव (मुख्य मंत्री) को

सम्बोधित तथा विशेष सचिव श्री राज्यपाल उ0 प्र0 का पत्र संख्या-1055/ पी0एस0एच0ई0 दिनांक 07-04-2006/मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में बिजली के तारों को भूमिगत करने की योजना

21-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में बिजली के तारों को भूमिगत करने की कोई वृहद योजना तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमिगत केबिल उन्हीं खम्भों पर डालना उचित होता है जहां पर विद्युत भार नियत होता है। वर्तमान में लखनऊ महानगर का विकास त्वरित गति से हो रहा है। अतः विद्युत भार का समय-समय पर बढ़ना स्वाभाविक है। वर्तमान में भूमिगत केबिल की वृहद योजना बनाने पर भार वृद्धि के फलस्वरूप ब्रेक डाउन बढ़ेंगे एवं भूमिगत केबिल को बार-बार बदलना व्यावहारिक न होगा।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में हुए भ्रष्टाचार के तथ्यों एवं गुण्डागर्दी करने वालों को बर्खास्त करने विषयक पत्र

22-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत विशेष सचिव श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 का पत्र संख्या-292/पी0एस-एच0ई0 दिनांक 2-2-2006 एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 का पत्र संख्या-69/पी0एस0 एम0डी0/2006 दिनांक 31-1-2006 जोकि क्रमशः मुख्य सचिव एवं सचिव (ऊर्जा) उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में सही तथ्यों को लाने वालों को बंधक बनाने एवं गुण्डागर्दी करने वालों को बर्खास्त करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

समस्त कार्मिकों को जोकि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे, उन्हें अन्य निगमों में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। सम्बन्धित कार्मिक एवं प्रशासनिक इकाई का पुनर्गठन कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 में हुए अरबों के घोटाले विषयक पत्र

23-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 में हुए अरबों के घोटाले विषयक विशेष सचिव श्री राज्यपाल उ0 प्र0 का पत्र संख्या-4095/पी0एस0-एच0ई0 दिनांक 16-11-2005 जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो क्या इस सम्बन्ध में आई0जी0 (विजिलेन्स), पूर्ववर्ती उ0प्र0रा0वि0प0 की जांच रिपोर्ट पर दिनांक 30-11-99 से 20-7-2006 के मध्य कितनी बार अधिसूचना आदि जारी करने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा मुख्य मंत्री को भेजा गया ? उक्त अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-गोण्डा के ग्राम दुढ़ना के अधूरे विद्युतीकरण को पूर्ण कराने की मांग

24-श्री राम प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड मुजेहना के ग्राम दुढ़ना में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त अधूरा कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम दुढ़ना का चयन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कर लिया गया है। इसका विद्युतीकरण मार्च, 2007 तक कराने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा के ग्राम नदावर में विद्युतीकरण कार्य को पूरा कराने की मांग

25-श्री राम प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नदावर विकास खण्ड इटिया थोक जनपद गोण्डा में विद्युतीकरण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत गांव को विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित कर लिया गया है। इसका विद्युतीकरण मार्च, 2007 तक कराने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा के ग्राम घनश्यामपुर के अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूरा कराने की मांग

26-श्री राम प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बभनजोत जनपद गोण्डा के ग्राम घनश्यामपुर में विद्युतीकरण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत गांव को विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित कर लिया गया है। इसका विद्युतीकरण मार्च, 2007 तक कराने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा के ग्राम फतेहपुर के विद्युतीकरण को पूरा कराने की मांग

27-श्री राम प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फतेहपुर विकास खण्ड बभनजोत, जनपद गोण्डा में विद्युतीकरण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त विद्युतीकरण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह ग्राम विद्युतीकृत है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरण

28-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के दस्तावेजी सबूतों सहित माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 20-6-2005 जोकि अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर में चौक से दुबग्गा तक अवैध रूप से चल रहे टैम्पो व मिनी बसों से हो रही परिवहन को राजस्व की हानि

29-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ महानगर में चौक से दुबग्गा तक अवैध रूप से टैम्पो व अन्य मिनी बसों के संचालन से परिवहन विभाग को राजस्व की भारी हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

चौक-दुबग्गा नगर बस मार्ग संख्या-4 (गोमती नगर-चारबाग-दुबग्गा) का मार्ग खण्ड है और नगर बस मार्ग नं0-4 पर मिनी बसों को ही नगर बस परमिट दिये गये हैं। चौक-दुबग्गा मार्ग खण्ड पर अन्य मार्गों के परमिटों की टैम्पों-टैक्सियों के अवैध संचालन के विरुद्ध समय-समय पर प्रवर्तन कार्यवाही की जाती रही है। दिनांक 01-1-2006 से 31-7-2006 तक 32 टैम्पो और 37 मिनी बसों का चालान विभिन्न अभियोगों में किया गया है और इनसे रु0 1,27,800.00 प्रशमन शुल्क के रूप में वसूल किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

गौरा चौकी बाजार, जनपद-गोण्डा के नाम स्वीकृत 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की मांग

30-श्री राम प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौरा चौकी बाजार जनपद-गोण्डा के नाम स्वीकृत 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना ग्राम धारीघाट विकास खण्ड बभनजोत गोण्डा में इस वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत उपकेन्द्र का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराने की मांग

31-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्राविधान किया गया है ? क्या यह सही है कि शाहजहांपुर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मात्र 8, 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन निम्नानुसार विद्युत आपूर्ति के घण्टों का प्राविधान है :-

1-ग्रामीण क्षेत्र-	14 घण्टे
2-तहसील स्तरीय नगर-	15 घण्टे
3-जनपद स्तरीय नगर-	16 घण्टे
4-मण्डल स्तरीय नगर-	18 घण्टे
5-महानगर-	20 घण्टे
6-बुन्देलखण्ड क्षेत्र-	16 घण्टे

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घण्टे, तहसील स्तरीय नगरों में प्रतिदिन 15 घण्टे तथा शाहजहांपुर नगर में प्रतिदिन 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी के कारण निर्धारित अवधि में भी विद्युत की आपात कटौती कराना प्रणाली की सुरक्षा हेतु अपरिहार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय व्यवधानों के कारणों से भी विद्युत आपूर्ति बाधित होती है।

जनपद शाहजहांपुर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक आपूर्ति निम्न प्रकार रही :-

माह	नगरीय क्षेत्र (घण्टा-मिनट)	नगरीय क्षेत्र (घण्टा-मिनट)
05/2006	15.20	08.10
06/2006	12.45	07.15
07/2006	14.05	07.55

प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में कमी होने के कारण वर्तमान परिस्थितियों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में वाहनों से हो रहे प्रदूषण के रोकथाम की योजना

32-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु क्या नीति निर्धारित की गयी है ? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बतायेंगे कि 50-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक भावलखेड़ा के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त अविद्युतीकृत राजस्व ग्रामों को विद्युतीकृत करने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत अविद्युतीकृत राजस्व ग्राम की मुख्य बस्ती तथा एक अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती के विद्युतीकरण की नीति निर्धारित की गयी है।

जी नहीं।

ब्लाक भावल खेड़ा के समस्त राजस्व ग्रामों का पुनः सर्वे कराया जा रहा है।

अविद्युतीकृत राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च, 2007 तक करा दिया जायेगा।

लखनऊ में वाहनों से हो रहे प्रदूषण के रोकथाम की योजना

33-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ में चलने वाली मैक्सी कैब एवं मिनी बसों से प्रदूषण में निरन्तर वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वाहनों का संचालन बन्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी हां। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16-5-2006 में अन्य नगरों के साथ ही लखनऊ नगर में सी0एन0जी0 चालित यात्री वाहनों को ही परमिट दिये जाने की नीति निर्धारित कर दी गयी है तथा डीजल चालित मिनी बसें/मैक्सी कैब को सी0एन0जी0 में परिवर्तित कराने अथवा सी0एन0जी0 वाहन में प्रतिस्थापन लेने के लिए सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस भी जारी कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा जनपद-बस्ती में होटलों के निर्माण हेतु प्रदान किये गये ऋण की जानकारी

34-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती में कितने होटलों के निर्माण हेतु वर्ष 1980 से वर्ष 1985 के मध्य वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा ऋण प्रदान किया गया है और उनमें से कौन-कौन से होटल हैं जिनकी ब्याज सहित बकाया ऋण की कुल धनराशि अब तक 25 लाख रुपये से अधिक हो गयी है और उनके द्वारा अभी तक सरकार को ऋण वापस नहीं किया गया है ? क्या सरकार ऐसे होटलों से ऋण की धनराशि ब्याज सहित वसूलने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

वर्ष 1980 से 1985 के दौरान जनपद बस्ती में केवल एक होटल कपिलवस्तु इण्टरनेशनल बस्ती को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर द्वारा रु0 4,43,000.00 का ऋण दिनांक 16-6-83 को स्वीकृत किया गया था जिसमें से केवल रु0 1,56,766.00 का भुगतान इकाई के स्वामी को किया गया था। इकाई के स्वामी ने देयों का भुगतान समय से नहीं किया। अतः इकाई से वसूली की कार्यवाही की गई जिसके तहत दिनांक 25-12-89 और पुनः दिनांक 2-1-93 को धारा-29 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई। इसके उपरान्त इकाई के स्वामी ने ऋण अदायगी का प्रस्ताव एक मुश्त समझौता योजना के अन्तर्गत दिया जिसके तहत निगम द्वारा रु0 3,20,000.00 का एक मुश्त समझौता प्रस्ताव दिनांक

30-9-93 को स्वीकृत किया गया तथा रु0 1,25,135.28 माफ भी किया गया। परन्तु इकाई स्वामी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

इकाई के स्वामी की बहिन द्वारा एक सिविल सूट दायर किया गया था कि वह होटल के कुछ हिस्से की मालिकान है। माननीय न्यायालय ने यह आदेश किया कि यथास्थिति बनाये रखी जाये एवं वाद अभी भी न्यायालय में लम्बित है। पुनः इकाई के स्वामी ने निगम के देयों के भुगतान के लिए अगस्त, 2005 में एक मुश्त समझौता का प्रस्ताव दिया गया था। जिसके तहत निगम द्वारा रु0 3.25 लाख का एक मुश्त समझौता दिनांक 7-12-05 को स्वीकृत किया गया। एक मुश्त समझौते के दौरान ब्याज रुपये 35,60,772.28 की माफी की गई। उपरोक्त धनराशि में से इकाई के स्वामी ने रु0 1,88,500.00 जमा किया है एवं सितम्बर, 2006 तक इकाई को बकाया धनराशि एवं ब्याज जमा करना है।

वर्ष 1952 से 1957 तक की अवधि के 15 विधान सभा सदस्यों के सम्मान समारोह के अवसर पर आज सदन में उपस्थित रहने हेतु सभी सदस्यों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

एक महत्वपूर्ण निवेदन है कि करीब 15 विधायक 1952 से 1957 तक की अवधि के जो इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं, वर्ष 1946 के भी इसमें सदस्य हैं, उन्हें आपके माध्यम से सम्मिलित किया जायेगा, उसमें पंडित नारायण दत्त तिवारी जी भी हैं। उन्हें जहाज लेने गया था नेकिन दुःख है कि वह उतर नहीं पा रहा है, वहां 3 कि0मी0 तक घना कोहरा छाया हुआ है, अभी 1 कि0मी0 तक साफ हो पाया है। बार-बार तिवारी जी का टेलीफोन आ रहा है, वह एअरपोर्ट पर बैठे हैं, वहां कोई एक्सीडेंट न हो जाए इसलिए जहाज उतर नहीं रहा हैं श्री तिवारी जी ने आग्रह किया है कि उन्हें छोड़कर और अन्य लोगों को सम्मानित कर दिया जाए। मैंने उनसे कहा है कि प्रतीक्षा कर लीजिए और 3.00 बजे तक भी आ जाईयेगा तो ठीक रहेगा। पूर्व सदस्य जो संविधान बनने के बाद प्रथम विधान सभा बैठी थी उसके सदस्य हैं, उन्हें आज अपराह्न 3.00 बजे से सम्मानित करेंगे। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप लोग उपस्थित रहेंगे, मुख्य रूप से दलीय नेताओं से आग्रह है कि उनके द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जाना है। इसलिए सबसे आग्रह है कि आप लोग उपस्थित रहेंगे। अब नियम-301 और 51 की सूचनायें हैं उसको ले लेते हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, ठीक समय बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

3.00 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जायेगा इसलिए 2.45 बजे तक हर हाल में अपना स्थान ले लें।

श्री विद्या सागर गुप्ता-

मान्यवर, नवाब महमूदाबाद की लखनऊ की प्रापर्टी के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

गुप्ता जी, बैठिये, आज समय नहीं है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25 अगस्त, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत सड़क दुर्घटना में हुई 5 व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप आश्रितों को एवं घायलों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सलिल विश्नोई की कानपुर महानगर में डंकन इण्डस्ट्रीज एवं एम0एम0एल0 लि0 कारखानों के बन्द होने से उनमें कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक तंगी के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इलाहाबाद शहर के दारागंज मुहल्ले में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री हरि प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत गहुली बाजार काण्ड में ग्रामवासियों के ऊपर लगाये गये फर्जी मुकदमों को वापस करने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री शिव तपस्या पासवान की चन्दौली के अधिशासी अधिकारी द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महायोजना को अभी तक स्वीकृति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की फतेहपुर के खागा किशनपुर मार्ग पर ससुर खदेरी नदी में बने लोहे के जर्जर पुल का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री अलगू चौहान की उत्तर प्रदेश के विकास खण्डों में तैनात एन0आर0ई0पी0 लिपिकों को विगत छः माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की जनपद मेरठ के तीन प्रमुख बिजली घरों व उनसे सम्बन्धित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुधारने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत शारदा कैनाल पुल के पास बारा बिरवा चौराहे पर लम्बित चौड़ीकरण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री रणवीर राणा की जनपद मेरठ के किना रगर निवासी स्व0 मित्तल सिंह की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिवार को आर्थिक मदद देने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विगत 4 वित्तीय वर्षों में स्वीकृत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड दीनशाह गौरा के चयनित शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री मो0 आकिल उर्फ मुन्ना मियां की मुरादाबाद पश्चिम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आगवानपुर के मुहल्ला सैफयान निवासी मो0 अकील एवं मो0 नाजिम की रेलगाड़ी से कटकर हुयी मृत्यु के फलस्वरूप परिवारिकजनों को आर्थिक सहायता

दिये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राम वीर उपाध्याय की राष्ट्रीय राजमार्ग-93 जो हाथरस से होकर गुजरता है, कि तत्काल मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई :-

1-श्री राम इकबाल सिंह

2-श्री अमर सिंह यादव

3-श्री राधेश्याम सिंह

4-श्री धर्म पाल सिंह

5-श्री मदन चौहान

6-श्री राम करन आर्य

7-श्री बीजू पटनायक

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर ने अपनी सूचना पढ़ी)।

(शेष स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।)

गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत सड़क दुर्घटना में हुई 5 व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप आश्रितों एवं घायलों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद-

[आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर (गोण्डा) के अन्तर्गत वि0खं0 छपिया के ग्राम-सोनवरसा एवं शाहनगर के कुछ कृषक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, जो सम्पन्न लोगों से रुपया कर्जा लेकर भैंस व्यापार का धंधा करते हैं, कुछ भैंस व्यापारी अपनी भैंस बेचकर जुवैरगंज से 30-07-06 को डी0सी0एम0 से घर वापस आ रहे थे। रात्रि के 11 बजे थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती के चौकी गधौवा के पास ट्रक एवं डी0सी0एम0 गाड़ी की टक्कर से दुर्घटना स्थल पर पांच व्यक्ति रामकेवल यादव पुत्र छाडू, घिराऊ प्रसाद यादव पुत्र झिनकन, राम धीरज मौर्या पुत्र केदार नाथ ग्राम शाहनगर की तत्काल मृत्यु हो गयी एवं राम लौट पुत्र जगन्ननाथ ग्राम सोनवरसा, रामतेज पुत्र रामफेर, माया राम पुत्र राम धीरज ग्राम शाहनगर मुक्ति नाथ ग्राम सिकहरा गम्भीर रूप से घायल हो गये, मृतकों को लगभग एक लाख रुपये को दुर्घटना स्थल पर पुलिस द्वारा गायब कर दिया गया। मृतक के आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लेते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मृतक आश्रितों को 2-2 लाख एवं घायलों को पचास-पचास हजार सहायता दिलाने की कृपा करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर महानगर में डंकन इण्डस्ट्रीज एवं एम0एम0एल0 लि0 कारखानों के बन्द होने से उनमें कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक तंगी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सलिल विश्नोई-

[कानपुर महानगर में डंकन इण्डस्ट्रीज एवं एल0एम0एल0 लिमिटेड दो बड़े कारखाने बन्द पड़े हैं। जिसके कारण दसियों हजार लोग बेरोजगार के शिकार हो रहे हैं। नगर में तनाव की स्थिति बनती जा रही है। डंकन इण्डस्ट्रीज को चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने विद्युत मूल्य का बकाया करोड़ों रुपया माफ किया था तथा इसी प्रकार एल0एम0एल0 स्कूटर कम्पनी को चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने उसे व्यापार कर में भारी छूट प्रदान की थी। दोनों कम्पनियों ने सरकारी सहायता प्राप्त करने के बाद फैक्ट्री फिर से बन्द कर दी। जिसके कारण हजारों परिवार के सामने रोजी-रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया है। इन बड़ी फैक्ट्रियों को माल सप्लाई करने वाली छोटी एन्सिलरी यूनिट्स भी अपना भुगतान न होने के कारण भारी आर्थिक संकट में फंस गयी है। उनके लघु उद्यमी एवं कर्मचारी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। शासन ने जिस मंशा के साथ इन बड़ी फैक्ट्रियों की सहायता की थी उसका निजी हितों के लिए भारी दुरुपयोग किया गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इलाहाबाद शहर के दारागंज मुहल्ले में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

स्वतंत्रता दिवस किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व होता है। 15 अगस्त, 2006, स्वतंत्रता दिवस सम्पूर्ण देश में हर्ष उल्लास, सौहार्द्र पूर्ण ढंग से मनाया गया। परन्तु इलाहाबाद शहर के दारागंज मोहल्ले में 15 अगस्त के अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ असामाजिक लोगों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को पहले सिगरेट से जलाया, फिर पैरों से कुचला। यह लोग शराब पिये हुए थे। सभी कट्टा लिये हुए थे। यह घटना अत्यन्त शर्मनाक एवं निन्दनीय है।

जब राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की जानकारी दारागंज के निवासियों को हुई तो सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गये तथा थाना दारागंज का घेराव किया। पहले थाने में मामूली विवाद की एफ0आई0आर0 दर्ज की। वहां के लोग इससे और उत्तेजित हुए तथा मुझे भी फोन से घटना की जानकारी दी। मैं भी सायं लगभग 7.00 बजे पहुंचा तथा थाने गया, जहां पर सी0 ओ0 एवं ए0 सी0 एम0-1 उपस्थित थे। ध्वज के साथ हुए अपमान के समय उपस्थित तीन लोगों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के चार लोगों के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्र पर पुनः एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी। चार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 323/504/506 राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थाना दारागंज में मुकदमा दर्ज हुआ है। सूचना के अनुसार 2 लोगों की गिरफ्तारी की गयी है, परन्तु अभी 2 लोग फरार हैं। इस सम्बन्ध में एस0 एस0 पी0, इलाहाबाद से भी एक प्रतिनिधि मंडल 18-8-06 को मिला था, तथा अभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही की मांग की गयी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, बहुत ही गम्भीर घटना है, जिस पर शासन से अविलम्ब कठोरतम कार्यवाही की मांग करता हूं।

उक्त विषय लोक महत्व, अविलम्बनीय एवं तात्कालिक है अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।

प्रतापगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत महुली बाजार काण्ड में ग्रामवासियों के ऊपर लगाये गये फर्जी मुकदमों को वापस करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरि प्रताप सिंह-

[विधान सभा क्षेत्र सदर जनपद प्रतापगढ़ में नागपंचमी के दिन दिनांक 30-7-2006 को जब आम नागरिक नागपंचमी का त्योहार मना रहा था उसी समय महुली बाजार में कुख्यात अपराधी लिफ्टर तथा महाराष्ट्र में अपराध करने वाला अकील बाबा निवासी ग्राम रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जिला प्रतापगढ़ ने आकर मेले में पहुंचकर आतंक मचाने के लिए वहां पर खड़े हुए लोगों को डराने तथा धमकाने की नियत से गाली गलौज करते हुए मेले का कार्यक्रम बिगाड़ने लगा, वहां पर खड़े कुछ लोगों द्वारा जब विरोध किया गया तो अकील बाबा निवासी रामपुर कुर्मियान ने 9 एम0एम0 को प्रतिबन्धित पिस्टल से फायर करने लगा जिसमें श्री लालमणि सिंह उर्फ लल्ले पुत्र स्व0 श्री भोला सिंह निवासी महुली जो गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गये जिससे मेले में आई हुई भीड़ ने अकील बाबा को घेर लिया तथा उसे पकड़ लिया, पकड़ने में उसे भी चोटें आईं, श्री लालमणि सिंह उर्फ लल्ले सिंह निवासी महुली को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया तथा अपराध सं0-375/06 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506, 34 आई0पी0सी0 को धारा के अन्तर्गत थाना नगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, परन्तु दिनांक 3-8-06 को राजनैतिक दबाव के कारण उप पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद द्वारा फर्जी मुकदमा ग्रामवासियों के ऊपर लगाया गया जिससे पूरी बाजार के लोगों में जबरदस्त आक्रोश व असन्तोष व्याप्त है, बाजार भी बन्द चल रही है धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। इस सम्पूर्ण घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायी जाय तथा फर्जी मुकदमा वापस लिया जाय।

उक्त विषय लोकमहत्व, अविलम्बनीय एवं तात्कालिक है। अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

चन्दौली के अधिशासी अधिकारी द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिव तपस्या पासवान-

[मैं आपके माध्यम से जनपद चन्दौली के अधिशासी अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगर पंचायत चन्दौली के अधिशासी अधिकारी श्री टी0एन0 चौबे द्वारा लगातार वित्तीय अनियमितता किया जा रहा है। इनके द्वारा फर्जी तरीके से 16 हजार के भुगतान पर आगे एक बढ़ाकर एक लाख 16 हजार का भुगतान करा लिया गया तथा 26 जनवरी मनाने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए 60 हजार रुपये व्यय किया गया। नगर पंचायत चन्दौली में श्री चौबे द्वारा बराबर अवैध तरीके से कार्य किया जा रहा है। अपने इस कृत्य पर पर्दा डालने के उद्देश्य से तथा अधिकारियों के कर्मचारियों को अवैध तरीके से आराजी नं0-67 व 68 में क्रमशः शोभा देवी पत्नी उमेश प्रसाद, आयशा बेगम पत्नी कमरुद्दीन तथा आराजी नं0-59 में प्रियंका सिंह पत्नी प्रदीप कुमार सिंह एवं आराजी नं0-59 के में मुन्नी देवी पत्नी दिलीप कुमार को अवैध तरीके से नगर पंचायत की कीमती जमीनों का नाम मात्र पैसा जमा कराकर आवंटन कर दिया गया है। श्री चौबे द्वारा स्वहित में नगर पंचायत की विवादित जमीनों जो कि रेलवे एवं पी0डब्लू0डी0 की है उस पर जबरदस्ती दुकान बनाकर आम जनता का धन वसूलने के फिराक में है। जनहित में इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। समाचार पत्रों में भी इनके भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित हुई है। इनके कार्य एवं व्यवहार से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

गोरखपुर महायोजना के अभी तक स्वीकृति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, किसी भी महानगर के विकास में उस महानगर की महायोजना का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है। अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अगस्त, 2004 से ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गोरखपुर महायोजना तैयार करके शासन की स्वीकृति हेतु आवास विभाग को प्रेषित कर दी गयी। लेकिन लालफीताशाही के चंगुल में जकड़ी यह फाईल पिछले 2 वर्षों से अपनी स्वीकृति का इन्तजार कर रही है।

पिछले सत्र में इसी सदन में शासन द्वारा यह जवाब दिया गया था कि कुछ आवश्यक कार्यवाहियों के उपरान्त इसे त्वरित स्वीकृति दे दी जायेगी। लेकिन अभी तक इस अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना को शासकीय स्वीकृति नहीं दी गयी। नई महायोजना के स्वीकार तथा लागू न होने के कारण गोरखपुर विकास प्राधिकरण का कार्य करीब-करीब ठप पड़ा है। महानगर के बहुत से क्षेत्रों के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं और फलस्वरूप नागरिक मजबूरीबस अनाधिकृत निर्माण करा रहे हैं। कई एक नई कालोनियों का विनियमितीकरण न होने के कारण उनमें नागरिक सुविधाओं का अधिकृत रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। स्वयं गोरखपुर विकास प्राधिकरण में बहुत सारे नागरिकों को भू-प्रयोग के परिवर्तन में शासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में भू-आवंटन कर दिया था, लेकिन न तो उनका पंजीकरण किया जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सका और न ही उनका विकास कराया जा सका। विकास प्राधिकरण की बहुत अधिक आर्थिक क्षति भी हो रही है।

अतः विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली, 1958 के नियम-301 के तहत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन को जवाब देने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

फतेहपुर के खागा किशनपुर मार्ग पर ससुर खदेरी नदी में बने लोहे के जर्जर पुल का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[सादर अवगत कराना चाहती हूं कि खागा-किशनपुर मार्ग पर ससुर खदेरी नदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लोहे का पुल निर्मित है जोकि प्राचीन होने के कारण अत्यन्त जर्जर हो चुका है तथा कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

उक्त के क्रम में पुल के दक्षिणी ओर यमुना नदी प्रवाहित है जिसके कई घाटों में बालू-मौरंग खनन के वृहद क्षेत्र व मत्स्य आखेटक घाट हैं जिससे जनपद को सर्वाधिक करोड़ों रुपये की राजस्व की प्राप्ति होती है तथा इसी पुल के माध्यम से अन्य जनपद एवं प्रदेशों के आवागमन का मात्र एक प्रमुख मार्ग है।

इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण हेतु माह जुलाई, 2005 में शासन को पत्र दिया जा चुका है जिसका प्राक्कलन भी निर्मित होकर विभाग में लम्बित है परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब उक्त पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करती हूं।]

उत्तर प्रदेश के विकास खण्डों में तैनात एन0आर0ई0पी0 लिपिकों को विगत छः माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अलगू प्रसाद चौहान-

[प्रदेश के विकास खण्डों में एन0आर0ई0पी0 के सैकड़ों कनिष्ठ लेखा लिपिक तैनात हैं जिन्हें विगत छः महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जबकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मद संख्या-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम आयोजनेत्तर में 808 एन0आर0ई0पी0 कनिष्ठ लेखा लिपिकों के वेतन का प्राविधान किया जाता रहा है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है तथा इनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। कर्मचारी संघ द्वारा शासन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त से वेतन दिलाये जाने हेतु बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अभी तक वेतन दिये जाने हेत कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में विकास खण्डों के एन0आर0ई0पी0 कनिष्ठ लिपिकों को वेतन दिलाये जाने हेतु माननीय सदन से अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त वर्णित विषय लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय है। सैकड़ों कर्मचारियों का तथा उनके परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है। अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

जनपद मेरठ के तीन प्रमुख बिजली घरों व उनसे सम्बन्धित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुधारने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीन प्रमुख बिजली घरों व उससे सम्बन्धित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की भयंकर दुर्दशा है। नौचन्दी बिजली घर क्षेत्र के गढरोड, नौचन्दी, कैलाशपुरी, नेहरूनगर, फूलबाग, ओम्रपाली, पंचशील, राजेन्द्र नगर, माधोनगर, गांधीनगर क्षेत्र में मात्र 10 घण्टे आपूर्ति की स्थिति है। बिजली घर ओवर है, उसके लिए कोई व्यवस्था बिजली घर द्वारा तात्कालिक आधार पर की नई जा रही है। 5 एम0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर तत्काल आवश्यक है। इसी प्रकार राम लीला मैदान बिजली घर का 10 एम0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर फुंके हुए एक वर्ष हो चुका, 8 एम0वी0ए0 मिला था, इस कमी के कारण इस क्षेत्र में ब्रहमपुरी, इन्दरानगर, शिव शक्ति नगर, भगवतपुरा, भूमिया पुत्र, मास्टर कालोनी, लक्ष्मणपुरी, गौतमनगर, ख्वाजा रोड, शारदा रोड, शिव शंकरपुरी क्षेत्र की जनता को घोर कष्ट है। 5 एम0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर तत्काल स्थापित होना चाहिए।

इसी प्रकार बच्चा पार्क/टाउन हाल बिजली घरों व उनसे लगने वाले क्षेत्र, लाल बाजार, कानूनगो पाल, शीशमहल, सर्राफा बाजार, डालम पाडा, स्वामी पाडा, चीरू कुंआ, जलीवाडा, खेरनगर, बुढ़ाना गेट, कोतवाली, मोरीपाडा क्षेत्र की जनता त्रस्त हो गयी है उसका सब्र टूट रहा है।

इन कारणों से उपरोक्त क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति बाधित है। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन के ऊर्जा विभाग से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत शारदा कैनाल पुल के पास बाराबिरवा चौराहे पर लम्बित चौड़ीकरण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाइवे कानपुर रोड पर शारदा कैनाल पुल के पास बारा बिरवा चौराहे का चौड़ीकरण का कार्य लम्बित है। वर्तमान में 24 घण्टे में 24 घण्टे जाम की स्थिति रहती है, समय ईंधन की बरबादी होती है। जनता को कष्ट है। पूर्व में आयुक्त, जिलाधिकारी लखनऊ को मय नक्शे के कई प्रार्थना-पत्र दे चुका हूं। परन्तु कोई सुनवाई नहीं है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के उपरोक्त प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ के किनानगर निवासी स्व0 मित्तल सिंह की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिवार को आर्थिक मदद देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रणवीर राणा-

[स्व0 श्री मित्तल सिंह पुत्र हुकुम सिंह आयु लगभग 20 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट-किनानगर, जनपद-मेरठ अपनी साइकिल द्वारा दिनांक 21-8-2006 को मजदूरी करने के लिए मेरठ शहर जा रहा था। रास्ते में गढ़मुक्तेश्वर रोड पर सिंह पेट्रोल पम्प के पास अचानक उसे अज्ञात ट्रक ने रौंद डाला जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गयी। इससे इनके पूरे परिवार में हाहाकार मच गयी। परिवार का कमाऊ युवक मौत की गोद में सो गया जिसकी भरपाई परिवार कभी नहीं की जा सकती है।

अतः मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस तंगहीन परिवार को आर्थिक मदद के रूप में कम से कम 6 लाख रुपये की धनराशि प्रदान करने की कृपा करें।]

जनपद चित्रकूट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विगत 4 वित्तीय वर्षों में स्वीकृत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दद्दू प्रसाद-

[अवगत कराना है कि जनपद-चित्रकूट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04, वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं वर्ष 2002-03 में निम्नसम्पर्क मार्गो की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

1-ग्राम कटैया खादर सम्पर्क मार्ग।

2-ग्राम अमवां सम्पर्क मार्ग।

3-ग्राम सगवारा सम्पर्क मार्ग।

4-ग्राम चकौर सम्पर्क मार्ग।

5-ग्राम बसिला-अतरौली सम्पर्क मार्ग।

6-ग्राम कटैया डाड़ी सम्पर्क मार्ग।

7-ग्राम दहिनी सम्पर्क मार्ग।

8-ग्राम गढ़ीकलां सम्पर्क मार्ग।

9-ग्राम मदना सम्पर्क मार्ग।

10-ग्राम उमरौली सम्पर्क मार्ग।

11-ग्राम खजुरिहा कलां सम्पर्क मार्ग।

12-ग्राम चित्रवार सम्पर्क मार्ग।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

13-ग्राम लौरी सम्पर्क मार्ग।

14-ग्राम करौंहा सम्पर्क मार्ग।

15-ग्राम बगदरी सम्पर्क मार्ग।

16-ग्राम कोटा कन्दैला सम्पर्क मार्ग।

उक्त सम्पर्क मार्गो में लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। सभी विकास कार्य बन्द पड़े हैं। इस सम्बन्ध में विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है। कि दस्यु गिरोहों के आतंक से कोई ठेकेदार टेन्डर डालने को तैयार नहीं है चूंकि दस्यु गिरोह ठेकेदारों से एडवांस में धन की उगाही करते हैं।

उक्त सम्पर्क मार्ग अत्यंत लोक महत्व के हैं लाखों जनता को आवागमन की सुविधा मिलती है। निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने से जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों को शीघ्र ही निर्मित कराये जाने की मांग करता हूं।]

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड दीन शाहगौरा के चयनित शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[मेरी विधान सभा क्षेत्र-96 डलमऊ, जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत स्थित समस्त विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों के चयन/नियुक्ति हेतु नवम्बर, 2005 में आवेदन पत्र जमा कराये गये थे। सभी विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों में अप्रैल, 2006 में ही शिक्षामित्रों को चयनित करके नियुक्ति प्रदान कर दी गई है परन्तु विकास खण्ड-दीन-शाहगौरा के अन्तर्गत स्थित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। जिससे चयनित अभ्यर्थियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विकास खण्ड-दीन-शाह गौरा के चयनित शिक्षामित्रों की नियुक्ति किये जाने की मांग करता हूं।]

मुरादाबाद पश्चिम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आगवानपुर के मुइल्ला सैफयान निवासी मुहम्मद आक्लि एवं मोहम्मद नाजिम की रेलगाड़ी से कटकर हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिवारिकजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 अक्लि उर्फ मुन्नामियां-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद पश्चिम जनपद-मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम आगवानपुर के मुहल्ला सैफयान के रहने वाले मो0 अकील पुत्र श्री अकबर अली आयु 15 वर्ष एवं मो0 नाजिम पुत्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री खलील अहमद आयु 19 वर्ष की दिनांक 06-08-06 दिन रविवार को सांय 5 बजे मालगाड़ी से कटकर मृत्यु हो गयी है। ये दोनों मृतक अपने परिवार के कमाऊं थे। इनकी मृत्यु हो जाने के कारण आज इनका परिवार भूखमरी के कगार पहुंच गया है। शासन/प्रशासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

अतः इस लोकहित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से मृतक के परिवारीजनों को सरकार से आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग करतर हूं।]

राष्टीय राजमार्ग 93 जो हाथरस से होकर गुजरता है की तत्काल मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामवीर उपाध्याय-

[अति लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रकरण पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 93 अलीगढ़ आगरा जो हाथरस नगर के बीचोंबीच से होकर गुजरता है दयानकपुर गांव से होकर गिजरौली तक पिछले 5 वर्षो से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है एवं सड़क के बीचोंबीच उक्त मार्ग को सीमेन्टेड करने के लिए एवं जल निकासी हेतु सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण का अनुरोध तत्कालीन मुख्य मंत्री एवं एवं भू-तल परिवहन मंत्री से किया था, मेरे अनुरोध पर तत्कालीन भू-तल परिवहन मंत्री ने 2,60,000/- रु0 हाथरस के बीच से गुजरने वाले सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण एवं राजमार्ग 93 के लिए 11 करोड रु0 स्वीकृत किये। 2 वर्ष पहले तक जब राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने शुरू नहीं किया तो जनता ने धरना, प्रदर्शन एवं उग्र प्रदर्शन एवं आन्दोलन किये। प्रदर्शन के बाद दो वर्ष पहले नाला निर्माण का कार्य शुरु हुआ जो अभी तक न तो पूर्ण हुआ है और न ही मानक के अनुसार है। उक्त सड़क को पूरी सीमेन्टेड करने के बजाए 2 कि0मी0 डामरीकरण किया गया है, वह भी मानक के अनुसार न होने के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और उसमें भी पुनः 1.5-1.5 फुट के गड्ढे हो गये हैं जो 3 कि0मी0 सड़क सीमेंटेड करनी थी, ठेकेदार ने उस पर एक साल पहले काम शुरू किया वह भी 6 माह से पूरी तरह से टप पड़ा है।

देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर से आगरा जाने वाले यात्रियों ने हाथरस होकर गुजरना बन्द कर दिया है। सड़क में गड्ढे होने की वजह से आए दिन सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई स्कूली बच्चे एवं क्षेत्रीय नागरिक इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मृत्यु के मुंह में जा चुके हैं। सड़क की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला अधिकारी और ठेकेदार मिलकर कर चुके हैं। उक्त सड़क के निर्माण हेतु मैं स्वयं सैकड़ों बार व्यक्तिगत रूप से अधिशासी अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से कह चुका हूं और बार-बार पत्र भी लिखा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अनहित के इस कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग-93 की, जो हाथरस से होकर गुजरता है की तत्काल मरम्मत की जाय एवं भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाय एवं जिस सरकारी धन का गबन किया गया है, उसकी रिकवरी किया जाय।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

आज समय की कमी है। इसलिए नियम 300 भी नहीं लिया जायेगा। यह तय हो गया था।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं आज के लिए तय हुआ था कि केवल नियम 56 नहीं लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आग्रह है कि अब जोर न दें।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के वार्षिक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के वार्षिक लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8(3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-522/ग्यारह-10(1)80-उ0प्र0 अधि-15-48 आदेश-(06)-2006 दिनांक 05 मई, 2006 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण अधिनियम, 1904 की धारा-23(क) की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, परसों कांग्रेस दल की ओर से प्रदेश के 1100 मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने का मामला उठाया गया था और कल ही मुख्य मंत्री जी ने एक हजार विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की घोषणा की है इसके लिए में मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह प्रश्न कांग्रेस ने उठाया था।

---

†† छापी नहीं गयी।

† छापा नहीं गया।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

यह समाज का प्रश्न था। समाज की जितनी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी पर है उतनी जिम्मेदारी किसी पर नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

घोषणा तो मुख्य मंत्री जी ने की है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं।

श्री भीम सिंह के परिवाद संख्या-4795-2001 (प्रतापगढ़) में माननीय लोक आयुक्त के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री भीम सिंह के संख्या-4795-2001 (प्रतापगढ़) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-12/2002 में उल्लिखित संस्तुतियों में सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-1/2003 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 की धारा-12 की उप धारा (7) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2006 (दिनांक 11 मई, 2006 से 17 मई, 2006 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2006 (दिनांक 11 मई, 2006 से 17 मई, 2006 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवां संस्करण) के निदेश संख्या 14(3) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली, 1994 ††

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) (संशोधन) नियमावली, 1994 ††

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) (संशोधन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 ††

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2000 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2000 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2005 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2005 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2005 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2005 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2005 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2005 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 2005 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 2005 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (अनर्हता का हटाया जाना और अनर्हता और सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत (अनर्हता का हटाया जाना और अनर्हता और सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (अध्यक्ष या प्रमुख आदि के पद की शपथ) नियमावली, 1994 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (अध्यक्ष या प्रमुख आदि के पद की शपथ) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-25, 26 में कुछ नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंह-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं संविधान के 73वें संशोधन में परिसीमीन....

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं।

मद संख्या 27 ले रहे हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 अगस्त, 2006 की बैठक में विधान सभा में दिनांक 25 अगस्त, 2006 से 12 सितम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं:--

1-दिनांक 30 अगस्त, 2006 को सदन का उपवेशन न हो।

2-दिनांक 01 सितम्बर, 2006 से 10 सितम्बर, 2006 तक सदन के उपवेशन न हों।

3-दिनांक 11 सितम्बर, 2006 तथा 12 सितम्बर, 2006 को सदन के उपवेशन हों।

4-दिनांक 25 अगस्त, 2006 से 12 सितम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

<u>अगस्त, 2006</u>

25 शुक्रवार बैठक होगी।

---

† छापी नहीं गयी।

अगस्त, 2006

26 शनिवार
27 रविवार
28 सोमवार
29 मंगलवार
30 बुधवार
31 गुरुवार

बैठक नहीं होगी।

(1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :--

(क) उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ-(आधा घण्टा)

(ख) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ-(आधा घण्टा)

(ग) डाक्टर राम मनोहर लोहिया-राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006-(आधा घण्टा)

(2) "प्रदेश में भीषण सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री लालजी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री उदयभान करवरिया, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-(एक घण्टा)

(3) प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-(एक घण्टा)

सितम्बर, 2006

1 शुक्रवार
2 शनिवार
3 रविवार
4 सोमवार
5 मंगलवार
6 बुधवार
7 गुरुवार
8 शुक्रवार
9 शनिवार
10 रविवार

बैठक नहीं होगी।

11 सोमवार
12 मंगलवार

बैठक होगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-28 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 †

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 ††

उच्च शिक्षा, राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, यह असंवैधानिक कार्य है, प्रतियां कहां है ?

श्री अध्यक्ष-

पिजन होल में रखवाई गयी है, वहां से निकलवा कर दिलवा दें। मा0 सदस्य को वहां से निकलवा कर दे दें।

नेता विरोधी दल को बोलने के लिए पर्याप्त अवसर न मिलने पर आपत्ति

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप इस पीठ पर बैठे थे तो नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, दोनों ने आदर सहित आपको वहां बैठाया था इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समान रूप से आप देखें। [X X X]

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह पीठ पर आक्षेप है।

श्री लालजी टण्डन-

मैं आक्षेप कर रहा हूं, आप मुझे निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

कह लेने दीजिए। नेता विरोधी दल बात कह रहे है, कह लेने दीजिए, आप लोग क्यों खड़े हो गए है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूं, सर्वोच्च पीठ अध्यक्ष की होती है, नेता विरोधी दल का भी मैं सम्मान करता हूं लेकिन जो बात कही है [XXX] उस पीठ पर आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैं दृढ़ता से कहता हूं, सरकार पर आक्षेप करें लेकिन उस पीठ पर आक्षेप नहीं हो सकता है।

(कई सदस्यों के खड़े होने और एक साथ बोलने पर व्यवधान)

---

†† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

आप कह लेने दीजिए, जो भी कहना चाहते हैं। पाल साहब, आप बैठ जायें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इनकी कृपा पर यह नेता विरोधी दल नहीं हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

बाजपेयी जी बात को सुलझ जाने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी आपकी मेहनत और ईमानदारी पर आपका दिल से आदर है। कल से नेता प्रतिपक्ष कुछ नाराज हैं जबकि न मैंने कुछ ऐसी बात कहीं और न आपने कुछ ऐसी बात कहीं। हम लोग सदन में इस तरह से रहते है जैसे जज साहब बैठे हैं और कमरे में तकरार हो और कमरे से बाहर निकलने के बाद सब आपस में दोस्त होते है। हम यह भी जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कोमल स्वभाव के हैं और हमेशा चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही बहुत अच्छी तरह से चले। लेकिन इनके दांये से कभी बायें से, पीछे से इस बात की कोशिश होती रहती है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इनके दांये तो कोई नहीं है और बांये मैं हूं और मैं कोई कम जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

था न कुछ। अगर बांये से कोई कारीगरी न की गयी होती तो बांये से क्यों आवाज आती ? नेता विरोधी दल को शायद कल से थोड़ी बहुत नाराजगी है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसको कार्यवाही से निकलवा दें। नेता प्रतिपक्ष ने आप पर कोई आक्षेप नहीं किया। इसका संज्ञान न लेते हुए इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मुझे दुख है कि मैंने पीठ पर अपना रोष प्रकट किया। लेकिन मान्यवर, मैं तीन दिनों से देख रहा हूं कि मैं प्रश्न पर सप्लीमेंट्री पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन आपने अनुमति नहीं दी। जबकि नेता प्रतिपक्ष को यह अधिकार है कि वह कभी भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन आपने अनुमति नहीं दी। चाहे मुख्य बजट हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो उस पर अगर प्रतिपक्ष चर्चा करना चाहता है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे अवसर दें। श्री हुकुम सिंह जी इतना मोटा बस्ता तैयार करके आये थे बोलने के लिए, मैंने उन्हें अपना समय दे दिया था लेकिन उन्हे अवसर नहीं मिला। मान्यवर, मैं देखता हूं कि सामने के दो लोग जब चाहे तब खड़े हो जायं और उनके लिए जैसे प्रिविलेज है कि वह विशेष जाति के लोग हैं कि जो न इधर है न उधर हैं। वह कह रहे हैं कि कांग्रेस के कहने से मुख्य मंत्री जी ने विद्यालयों को बजट में रख लिया और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जनहित में रखा, कांग्रेस का उसमें कोई रोल नहीं है। फिर भी वह कह रहे हैं कि बधाई तो सुन ही लें। "बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना"। अगर इस तरह से होगा और आप पीठ पर बैठे हैं, मर्यादा कर उल्लंघन करें तो यह शोभा नहीं देता। मैंने कभी पीठ के खिलाफ कोई शब्द नहीं कहा। लेकिन अगर इधर से कोई माननीय सदस्य खड़ा हुआ तो आपका हाथ पहले चलता है कि बैठ जाइये।

जो नये सदस्य चुनकर आये हैं उन्हें पीठ द्वारा उत्साहित किया जाना चाहिए कि वह यहां कुछ सीखें। तीन दिन तक एक ही नोटिस दी गयी लेकिन वह तीन दिन बाद भी नोटिस स्वीकार नहीं हुई। इस तरह से आप अगर होगा और अपनी बात हमें नहीं कहने देंगे तो हमारी क्या उपयोगिता रह जायेगी ? आखिर हम यह सुविधायें किसलिए ले रहे हैं। सरकारी बातों की आलोचना कर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश करें यही हमारा कर्त्तव्य है और उससे वंचित होना पड़े तो यह व्यथा आप समझते होंगे। अगर आवेश में कुछ शब्द मैंने कह दिये हों तो उसके लिए मुझे खेद है लेकिन यह अधिकार विपक्ष का है कि पीठ के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकता है। उन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन मैं कभी भी ऐसी बात नहीं कहूंगा। जो मेरी आपसे व्यथा थी वह मैंने कह दी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल जी, आपने जिन बिन्दुओं पर अपनी व्यथा व्यक्त की है उसके संदर्भ में आपको पूरी तरह से बताना चाहता हूं। पहले आपने कहा कि प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया गया। मैं हमेशा से पूरे सम्मान के साथ कहता रहता हूं कि जब नेता विरोधी दल खड़े हों तब और लोगों को बैठ जाना चाहिए। उनको पूरा अधिकार है किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का। लेकिन सरकार उत्तर दे या न दे मैं उसको बाध्य नहीं कर सकता हूं। कल आप पूछ रहे थे कि मृत्यु और मरने के बारे में, आपने कहा कि बुन्देलखंड में इतने मरे उसमें मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह निराधार है और मैं इस आरोप को सत्य नहीं मानता हूं। आपने फिर दोहराया लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, शोर शराबा होने लगे तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैंने आपको कभी भी प्रश्न पूछने के लिए मना नहीं किया था। लेकिन जब व्यवधान होने लगता है तो क्या कर सकता हूं। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप बैठ जायें। आपको समुचित उत्तर नहीं मिल रहा था इसलिए आप नाराज हो गये। दूसरी बात हुकुम सिंह जी की कही है, तो यह कहना चाहता हूं कि यह परम्परा अनुपूरक मांगों पर, बीच में शायद बन्द हो गयी थी, यह हमने ही शुरू की। मैं जब सदन में आया था तो नियम था कि अनुपूरक मांगों पर सप्लीमेन्टरी आती है तो चर्चा करा दी जाती है। हमारी नियमावली के नियम 195 में यह व्यवस्था है कि अनुपूरक मांगों पर अगर कोई मद स्पष्ट नहीं है तो उसकी आप व्याख्या या स्पष्टीकरण पूछ सकते है। जनरल भाषण देने की प्रक्रिया नहीं है। फिर भी उसके बाद भी जब पिछली बार सदन चला मैंने सप्लीमेंटरी पास करी। आपके सदस्य उत्तेजित हो गये जब नियम-56 के अन्तर्गत मैंने दूसरी मद ले लिया। जब सप्लीमेंटरी पुकारी थी, आप कार्यवाही निकालकर देख लें मैंने कहा भी था कि इसमें कोई चर्चा करना चाहता है तो शुरू करे, लेकिन आपके सदस्यों को नियम-56 में बोलने का अवसर नहीं मिला था तो वह सदन के बीच में आ गये और कोई खड़ा नहीं हुआ। तो, मैंने मद आगे की ले ली। जब आगे ले लिया तो पीछे बढ़ने की कोई औचित्य नहीं था क्योंकि यह प्रस्ताव पेश हो गया था। मैंने जानबूझकर किसी को तो रोका नहीं। परम्परा यह होनी चाहिए कि अगर बोलना है तो एक चिट पहले से भेज दी जाय। न भी भेजी जाय तो आप प्रोसीडिंग निकालकर देख लें मैंने कहा कि जो चर्चा करना चाहते है वह करें लेकिन आपके सदस्य आगे आते थे। जहां तक सदस्यों की बात है, मैंने नियमों में संशोधन करके नियम समिति से, तमाम सदस्यों को, आप निकलवाकर देखें कि जितना, मैं बुलवाता हूं तो आपके सदस्य बोलने को नहीं तैयार

होते हैं और दुर्भाग्य है कि सदन के जो नेता लोग है यही लोग ज्यादा बोलने का प्रयास करते हैं तो इसमें कंट्रोल करना होगा। जब आपका खुद नियम-56 आ जायेगा तो कैसे आपके सदस्य लोग बोलेगें ? आपको सबसे पहले आत्म संयम करने की आवश्यकता है। नये सदस्य को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें बोलने का अवसर दिया जाय। उनके भी नियम-56 आने दिये जायें। जब नेता विरोधी दल हर नियम-56 पर दस्तखत करा लेंगे तो हम कैसे मौका देंगे ? मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मैं नये सदस्यों को सबसे ज्यादा अवसर देना चाहता हूं और आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें कि क्या आप इतना अवसर कभी पाये हैं ? माननीय नेता सदन, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं किसी बात पर कोई पक्षपात नहीं करता हूं। आज अभी आया, मैंने खुद सेक्रेटरी से कहा यह जो अनुपूरक एजेन्डा है इसको सब तक पहुंचा दो। मैंने पहले ही कहा कि इसको पहले दे दो तब इसमें जोड़ो। इन्होंने कहा कि सर इसे पिजन होल में रखवा दे रहा हूं। अगर मैं, पिजन होल में देखता हूं, नहीं रखा है तो इनके विरुद्ध मैं कार्यवाही करूंगा। हम इसको नहीं मानेंगे। यदि आपका अविश्वास हमारे में है तो मुझे कोई मोह नहीं है कि हम इन सब पदों पर रहकर हम काम करें।

श्री लालजी टण्डन-

मैंने यह कहा कि यह अधिकार है कि पीठ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

हम कहां कह रहे हैं, यह तो अधिकार आपको है ही।

श्री लालजी टण्डन-

आपके प्रति मैंने नहीं कहा कि मुझे अविश्वास है। लेकिन जहां पर व्यवस्थायें बिगड़ रही है वहां पर मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपसे अपनी बात कह सकूं। मैंने जो कहा कि आक्षेप की बात भी मैंने कही है तो जब ढ़ोलक खड़ी हो जाती है एक इधर से बजता है एक इधर से। तो मान्यवर, वह किसी का भी संतुलन खो जायेगा। तो आप कह रहे थे कि आक्षेप कर रहे है तो मैने कहा कि आपके ऊपर आक्षेप कर रहा हूं और इनके ऊपर मैं आक्षेप कर रहा हूं यह मान्यवर, वह आपके लिए नहीं था।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, गम्भीर मामला हो गया है आप भी भावुक हो गये पूरे सदन को आप पर विश्वास है। और आप चाहें तो इस सिलसिले में सदन की राय ले सकते हैं आप पर पूरा विश्वास है। इसलिए अब जो बात नेता विरोधी दल ने कही है, उधर से क्योंकि बात आई थी तो आक्षेप का शब्द उधर के लिए इस्तेमाल हुआ था इधर के लिए नहीं हुआ था। हमें तो अच्छी बात मानकर चलनी चाहिए, वरिष्ठ सदस्य है, नेता विरोधी दल हैं, सरकार चला चुके हैं खेद व्यक्त कर चुके हैं, मैंने तो यहां तक चाहा कि प्रोसीडिंग से ऐसे सारे शब्द ही निकाल दिये जांय लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप खेद व्यक्त कर चुके हैं तो आपसे दरख्वास्त हैं कि आप भी अपने मन को उतना अच्छा बना लें

जितना अच्छा आपका मन है और जब यहां से उठें तो नेता विरोधी दल भी रहें, नेता सदन को भी समय रहे, वह भी रहें, मैं भी रहूं एक प्याली काफी पी ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो माननीय नेता विरोधी दल का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं कोई भी ऐसी बात विधान सभा की आती है तो मैं उनसे सबसे पहले सलाह लेता हूं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इसमें से जो भी ऐसा शब्द लगा हो कि मैंने आपको अपमानजनक कहा हो, आप उसे निकलवा दीजिए।

(श्री प्रमोद कुमार द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो आप उन्हें सुन लें और [x x x] और हमारी नहीं सुनें तो ऐसे नहीं चलेगा।

सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 (क्रमागत)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर भाजपा सदस्यों द्वारा व्यवधान)

नेता विरोधी दल को बोलने के लिये पर्याप्त अवसर न मिलने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अब आप मुझे एक मिनट सुन लें। आपने जो कहा, मैंने विनम्रतापूर्वक सुन लिया। बिल्कुल व्यवधान नहीं किया टण्डन जी ने जो कहा। इस सदन में बहुत ही गौरवशाली परम्परा रही है अध्यक्ष की। नेता सद[illegible] नेता विरोधी दल। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अध्यक्ष पीठ का हमेशा सम्मान होना चाहिये, नेता सदन का सम्मान होना चाहिये और नेता विरोधी दल का सम्मान हम लोग करते हैं। मैं जानता हूं मान्यवर, एक कहावत है कि धोबी जब घर में नहीं जीतता है तो कहीं जाकर कान ऐंठता है। [x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह बंद करिये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप आक्षेप कर रहे हैं।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(भारतीय जनता पार्टी सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप सदन चलायेंगे या दो सदन चलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप व्यवस्था का प्रश्न पूछिये, आप तो आक्षेप करने लगते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कृपापूर्वक सुन लें, काम आयेगी। दो बातें आदरणीय टण्डन जी ने कही है। एक तो उन्होंने यह कहा है कि मान्यवर, न इधर के हैं न उधर के हैं। मैं समझ सकता हूं। मैं बिल्कुल टण्डन जी, जिस तरह आप संतुष्ट हों, मैं आपको संतुष्ट करने के लिये तैयार हूं और मैं कहना कहता हूं कि इधर पक्ष होगा, उधर विपक्ष होगा, हम निष्पक्ष हैं। [x x x]

श्री अध्यक्ष-

अरे छोड़िये, ये क्या बोल रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार-

यह बहुत मधुर होती है। अब इसमें बुरा क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

आप व्यवस्था का प्रश्न पूछें।

श्री प्रमोद कुमार-

वही पूछ रहा हूं। मान्यवर [x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह सब उचित नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

नहीं है न तो दोनों निकलवा दीजियेगा। [x x x]

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद कुमार जी आप बैठिये, यह मैं दोनों देख लूंगा जो असंसदीय होगा, निकाल दूंगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25 अगस्त, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। पहली सूचना श्री राजेश कुमार की जनपद लखीमपुर खीरी के बिजुआ में नरभक्षी बाघ के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। दूसरी सूचना श्री अवधेश कुमार वर्मा की जनपद रामपुर की ग्राम पंचायत नदनऊ के ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र लगाये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश सचिवालय

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

में सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर आरक्षण व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति न किये जाने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। चौथी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट के मानिकपुर में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) की परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। पांचवीं सूचना डा0 राम बाबू हरित की भूगर्भ जल विभाग में अवशेष कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। छठीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ महानगर में मेडिकल कालेज से काली नदी के पुल पर नगर बस सेवा चलाये जाने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। सातवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि एवं जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विद्युतीकरण का कार्य न कराये जाने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। आठवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही स्थित ज्ञानपुर पम्प कैनाल को पूरी क्षमता से न चलाये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। नवीं सूचना श्री गंगा भक्त सिंह की जनपद हरदोई की ब्लाक शाहाबाद में नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत दो परियोजनाओं का कार्य बंद होने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री प्रदीप जैन "आदित्य" की जनपद झांसी स्थित मोहल्ला स्टेट बैंक मुख्य शाखा के पीछे न्यू कालोनी की नजूल भूमि के पट्टाधारियों को नगरपालिका द्वारा परेशान किये जाने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती माया प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, बारहवीं सूचना श्री अलगू चौहान की पूर्वी उत्तर प्रदेश में चौहान/बेलदार जाति के व्यक्तियों को भूमिहर किसानों की भांति बीमा कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। तेरहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद गाजीपुर के ग्राम सिधरा में बदमाशों द्वारा मारपीट एवं लूटपाट की वारदात करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने एवं भुक्तभोगी को आर्थिक मदद दिलाये जाने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौदहवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी जल संस्थान में कार्यरत मीटर रीडरों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पन्द्रहवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार की राजकीय सहायता प्राप्त अरबी मदरसों के शिक्षकों/कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। इसके अतिरिक्त, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद मेरठ में बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अनाधिकृत रूप से मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयी। श्री लालजी वर्मा, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री नवाब सिंह नागर, श्री सलिल विश्नोई, श्री शिव तपस्या पासवान, डा0 विनोद तिवारी, श्री सदल प्रसाद, श्री कपिल देव यादव, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री श्याम सिंह अहेरिया, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्रीमती कृष्णा पासवान,

श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री रणवीर सिंह राणा, श्री राम करन आर्य, श्री संजीव दरियाबादी, श्री प्रागीलाल अहिरवार, श्री सुरेश कुमार खन्ना, कुंवर भारतेन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री द्वारिका प्रसाद, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री बीजू पटनायक, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री मदन चौहान, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री कौशल किशोर।

अब इसके बाद वक्तव्य है, इनको हम आज स्थगित करते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना स्वीकृत में है। 15-16 लिया है।

राजा महमूदाबाद की शत्रु सम्पत्ति के पुराने किरायेदारों से मकान खाली कराये जाने तथा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर मुख्य मंत्री जी की नालेज में आ जाय, केवल इसलिये कहना चाहता हूं। कि नवाब महमूदाबाद की प्रापर्टी 30 तारीख तक खाली कराने के लिये फिर प्रशासन सक्रिय हो गया है। उसमें बहुत सी ऐसी हैं जो सन् 1962 में यह कानून बना था, शत्रु सम्पत्ति का, उसके पहले के यह किरायेदार हैं, राजा साहब को वह खुद किराया देते थे, आज वह भी खाली कराये जा रहे हैं। 1950 तक के जो किरायेदार हैं, वह भी खाली कराये जा रहे हैं। कहीं न कहीं उनके लिये भी सरकार का प्रोटेक्शन चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, आप उन लोगों के हितों की रक्षा करें। राजा साहब की प्रापर्टी उनको मिले लेकिन जिस सम्पत्ति पर उनका वाजिब हक है, जो वर्ष 1950 से हैं, जो आजादी से पहले के हैं, वह प्रापर्टी जिनमें किरायेदार हैं, उनके ऊपर इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिये। पहली बात है कोर्ट के आदेश का पालन होने के लिये स्वामित्व किसका है, उनको दे दिया जाय, लेकिन बाकी कानून जो है, गांव की जमीन है, जैसे सीलिंग है और अगर सीलिंग का उल्लंघन करके उनको दे दिया जाएगा तो सैकड़ों किसान जो खेत जोत रहे हैं, वह बेदखल है जायेंगे और अराजकता की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में रुचि ले करके इसको देख लें और किसी के साथ अन्याय न होने दें।

श्री अध्यक्ष-

यह जो मद संख्या-34 और 35 तथा मद संख्या-37 से 45 पर निर्धारित वक्तव्य एवं केवल वक्तव्य हैं, पढ़े हुये माने जायेंगे। इसमें केवल मद सं0-36 में श्री प्रमोद कुमार की सूचना पर निर्धारित वक्तव्य को श्री प्रमोद कुमार के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

(पढ़े हुये माने गये वक्तव्य संलग्न हैं)

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में पिपराघाट पर गण्डक नदी पार करते समय नाव दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[माननीय सदस्य विधान सभा, डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 22 अगस्त, 2006 को दी गयी सूचना में कहा गया है कि जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में दिनांक 20 अगस्त, 2006 को गण्डक नदी पार करते समय नाव दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने तथा वक्तव्य की मांग की गयी है।

जिलाधिकारी, कुशीनगर से प्राप्त आख्या के अनुसार बिहार प्रान्त में स्थित अपने खेतों में धान की निराई/मजदूरी करके 50 व्यक्ति दिनांक 20 अगस्त, 2006 को नाव से वापस लौट रहे थे कि सायंकाल 5.30 बजे अचानक आंधी एवं तेज वर्षा होने के कारण नारायणी/गण्डक नदी में उक्त नाव पलट गयी। नाव पर सवार व्यक्तियों में से 08 व्यक्तियों-श्रीमती चम्पा (45 वर्ष) पत्नी नन्द लाल, श्रीमती सोमरिया (42 वर्ष) पत्नी मथुरा, श्रीमती शिवकलिया (42 वर्ष) पत्नी राधाकिशुन, श्रीमती पनवा (42 वर्ष) पत्नी चन्द्रिका, मनीष (18 वर्ष) पुत्र महेश्वर, प्रियंका (15 वर्ष) पुत्री महेश्वर, श्रीमती इसरावती (25 वर्ष) पत्नी मास्टर चौहान, श्रीमती लछमिनिया (45 वर्ष) पत्नी नन्द लाल कुर्मी की मृत्यु डूबने के कारण हो गयी, जिनके शव स्थानीय गोताखोरों एवं नाविकों द्वारा निकाले गये।

उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त 07 व्यक्ति-श्रीमती इन्द्र देवी (35 वर्ष) पत्नी केदार, श्रीमती फूलमती (50 वर्ष) पत्नी श्री किशुन यादव, आशा (20 वर्ष) पुत्री बन्हू चौहान, चन्द्रिका (50 वर्ष) पुत्र विशुन मल्लाह, गंगा (20 वर्ष) पुत्री चन्द्रिका चौहान, श्रीमती धौलरिया (45 वर्ष) पत्नी रामजस चौहान, श्रीमती कलावती (30 वर्ष) पत्नी राधाकिशुन कुर्मी लापता हैं। इन लापता व्यक्तियों की खोज पी0 ए0 सी0 के जवानों द्वारा की जा रही है तथा राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों द्वारा भी स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ घर-घर जाकर की जा रही है।

नाव दुर्घटना में मृत 08 व्यक्तियों में से 04 व्यक्तियों के शव दिनांक 21 अगस्त, 2006 को प्राप्त हुये थे, जिनका पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम कराया गया और तत्पश्चात् शवों का अंतिम संस्कार उनके परिजनों से करा दिया गया। अंतिम संस्कार का व्यय प्रशासन द्वारा वहन किया गया तथा मृतकों के परिजनों को 20-20 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया गया। उक्त चारों मृतकों के आश्रितों को रु0 50-50 हजार की अनुग्रह सहायता वितरित कर दी गयी है। जिन 04 व्यक्तियों के शव दिनांक 22 अगस्त, 2006 को नदी से प्राप्त हुये हैं, उनके पोस्टमार्टम की कार्यवाही चल रही है। पोस्टमार्टम के उपरान्त शवों का दाह संस्कार उनके परिजनों से कराकर उन्हें अनुमन्य सहायता प्रदान कर दी जायेगी।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में स्नातक स्तर पर छात्रों के प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में डा0 अरुण मेहरोत्रा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

[माननीय सदस्य विधान सभा, डा0 अरुण मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश मे कक्षा 12 की परीक्षा में अधिक प्रतिशत में छात्र उत्तीर्ण होने के कारण सफल छात्रों की संख्या गत वर्ष की तुलना में पांच लाख अधिक है। इसके कारण महाविद्यालयों में सभी छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। शासन द्वारा सांध्यकालीन तथा स्ववित्त पोषित कक्षाओं में प्रवेश की बात कही गयी है। इनमें शिक्षक व्यवस्था हेतु अतिरिक्त भुगतान पर प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है। छात्र-छात्रायें अतिरिक्त भुगतान में असमर्थ हैं। इस दोहरी शिक्षा व्यवस्था से छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। छात्रों के साथ इस शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ हो रहा है। छात्र प्रवेश को लेकर आक्रोशित हैं। जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 119 राजकीय महाविद्यालय, 345 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 1173 अनानुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। शैक्षिक सत्र 2005-2006 में स्नातक प्रथम वर्ष में कुल 7,87,655 सीटें उपलब्ध थीं जिसके सापेक्ष 7,16,555 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं। विगत शैक्षणिक सत्र में बारहवीं कक्षा के परिणाम में सफल छात्रों का प्रतिशत अधिक होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अभ्यर्थियों के प्रवेश में होने वाली सम्भावित कठिनाइयों के निराकरण हेतु शैक्षिक सत्र 2005-06 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, बार काउंसिल आफ इण्डिया आदि की परिधि से भिन्न पाठ्यक्रमों में संबंधित विश्वविद्यालय, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान में किये गये 25 प्रतिशत सीट वृद्धि, अशासकीय महाविद्यालयों में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली के केन्द्रों की संख्या में आवश्यकतानुसार अपेक्षित वृद्धि करने आदि उपायों को यथावत शैक्षिक सत्र 2006-2007 में लागू माने जाने के आदेश कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को शासनादेश संख्या-1678/सत्तर-2-2006-2(166)/2003, दिनांक 23 मई, 2006 द्वारा दिये गये हैं।

3-उपर्युक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, बार काउन्सिल आफ इण्डिया आदि की परिधि से भिन्न सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों यथा-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की समस्या के निराकरण हेतु

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासनादेश संख्या-1870/सत्तर-2-2006-2(166)/2000, दिनांक 07 जून, 2006 द्वारा निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं:-

(1) सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2006-07 के लिये विशेष परिस्थितियों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति पूर्व में अशासकीय महाविद्यालयों को दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि सांध्यकालीन कक्षाओं के लिये शासन से अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

(2) अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये संबंधित महाविद्यालय/संस्था के आवेदन पर नियमित कक्षा के साथ अर्थात् प्रथम पाली में अतिरिक्त सेक्शन की वृद्धि स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया गया है और इस हेतु शासन से अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों को सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने की दशा में उनमें अनिवार्य रूप से प्रथम पाली प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 12.45 बजे से अपराह्न 5.15 बजे तक संचालित की जायेगी।

(4) जनपद में स्नातक पर प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु न्यूनतम उपाचार्य स्तर के अध्यापक को विश्वविद्यालय का नोडल अधिकारी नामित करने हेतु समस्त कुलपतियों से अनुरोध किया गया है, जो जनपद स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया में कठिनाई होने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त महाविद्यालयों के साथ विचार-विमर्श कर समस्या का निराकरण करायेंगे। जिलाधिकारीगण द्वारा इस सम्बन्ध में नियमित समीक्षा की जायेगी और इस कार्य में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित नोडल अधिकारी व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जायेगा।

4-यह उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण सर्वप्रथम शासनादेश संख्या-1960/सत्तर-2-97-2(85)/97, दिनांक 11-11-1997 द्वारा किया गया जिसमें बी0 ए0, बी0एस-सी0 एवं बी0 काम0 पाठ्यक्रम के लिये अधिकतम शिक्षण शुल्क रु0 5000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। इन दरों में कोई परिवर्तन शासनादेश दिनांक 02-07-2003 द्वारा भी नहीं किया गया है अर्थात् स्नातक स्तर पर बी0 ए0, बी0एस-सी0 एवं बी0 काम0 पाठ्यक्रम के लिये शुल्क सीमा रु0 5000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष पूर्ववत् रखे जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

5-प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों एवं स्नातक स्तर पर पठन-पाठन के लिये इच्छुक सभी छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से समस्त अशासकीय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि एवं सांध्यकालीन कक्षाओं के

संचालन की अनुमति स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अनुमन्य की गयी है जिससे कि कोई भी इच्छुक छात्र-छात्रा पठन-पाठन की व्यवस्था से वंचित न रहे।

6-उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था के फलस्वरूप जिन महाविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि एवं सांध्यकालीन कक्षाओं की मांग की गयी है उन महाविद्यालयों की मांग के अनुसार अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि एवं सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही है। इस प्रकार प्रदेश में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की समस्या का बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया है।]

जनपद प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर के अन्तर्गत ग्राम मसनी में आये भीषण चक्रवात के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[माननीय सदस्य विधान सभा, श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर के अन्तर्गत ग्राम मसनी में आये भीषण चक्रवात के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 23 अगस्त, 2006 को दी गयी सूचना में वक्तव्य की मांग की गयी है।

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद ग्राम मालाधारी का पुरवा मजरे मसनी परगना अटेहा तहसील लालगंज में दिनांक 22 अगस्त, 2006 को सायं लगभग 6.00 बजे 300 मीटर के क्षेत्र में चक्रवाती तूफान आने से छप्परदार व खप्परदार रिहायसी मकान आंशिक एवं अत्यधिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। कोई जन हानि एवं पशु हानि नहीं हुई है। कुछ वृक्ष भी क्षतिग्रस्त हुये हैं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 32 मकानों के मुखिया को अंकन रु0 800/- की दर से तथा 04 अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकानों के मुखिया को रु0 1200/- की दर से गृह अनुदान की धनराशि कुल अंकन रु0 30,400/- (रुपये तीस हजार चार सौ मात्र) वितरित कर दिया गया है।]

जनपद भदोही स्थित पेयजल की चार परियोजनाओं को धन उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य व नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[जनपद संत रविदास नगर भदोही से वर्ष 2006-07 के लिये आदर्श जनपद योजना के अधीन प्रभावोन्मुख विकास कार्यों को चयनित करते हुये कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई थी। प्राप्त कार्य योजना में पेयजल से संबंधित प्रश्नगत चार परियोजनाओं यथा-चौरी, उगापुर, मुकुन्दपट्टी तथा जगन्नाथपुर को स्वीकृत करने हेतु चयनित किया गया। जनपद से आगणन

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपलब्ध कराने तथा अन्य किसी योजना में कार्यों को स्वीकृत न होने अथवा प्रस्तावित न किये जाने की पुष्टि कराये जाने पर स्पष्ट हुआ कि इन कार्यों पर पूर्व में पूर्वान्चल विकास निधि के अन्तर्गत आंशिक रूप से कार्य स्वीकृत हुये हैं और इन कार्यों पर विद्युत विभाग के कुछ दायित्व अवशेष हैं। चूंकि किसी भी परियोजना को एक ही स्रोत से वित्त पोषित किया जाता है, इसलिये इन कार्यों की पुनः स्वीकृति आदर्श जनपद योजना के अधीन निर्गत नहीं की गई है। पूर्वान्चल विकास निधि के अधीन स्वीकृत इन परियोजनाओं में यदि कोई कार्य अवशेष है तो पूर्वान्चल विकास निधि से ही अवशेष कार्य पूर्ण कराया जाने हेतु कार्यवाही होगी।]

प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्ष 1991 से तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

[माननीय सदस्य विधान सभा, श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्ष 1991 से पठन-पाठन कर रहे तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया। तद्नुसार वर्ष 1991 से तदर्थ अध्यापक विनियमित किये गये इसी क्रम में कूबा महाविद्यालय, दरियापुर नेवादा, जनपद-आजमगढ़ के डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह मनोविज्ञान विभाग एवं डा0 काशीनाथ सिंह संस्कृत विभाग में वर्ष 1991 से तदर्थ अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं रिक्त पद पर नियुक्त किये गये हैं तथा यू0 जी0 सी0 में मानक के अनुसार पूरा करते हैं तथा उक्त महाविद्यालय भी वित्त पोषित है। इस प्रकार ये लोग भी अर्हता पूर्ण करते हैं। मगर इनको विनियमित नहीं किया। जिसको लेकर शिक्षकों में काफी असंतोष व्याप्त है तथा प्रत्यक्षतः शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है। अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये वक्तव्य की मांग की है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 में दिनांक 03-01-1984 से 22-11-1991 की अवधि में तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्राविधान है। उक्त प्राविधानों के आलोक में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 जनवरी, 2003 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति द्वारा प्रश्नगत कूबा महाविद्यालय, दरियापुर नेवादा, जनपद-आजमगढ़ के मनोविज्ञान विभाग में नियुक्त डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह के विनियमितीकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया और डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह की महाविद्यालय में नियुक्ति की तिथि को मौलिक रिक्त पद की उपलब्धता न होने के कारण विनियमितीकरण के योग्य नहीं पाते हुये विनियमित किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। संस्कृत विभाग के डा0 काशीनाथ सिंह के प्रकरण पर भी विनियमितीकरण समिति द्वारा विचार किया गया और डा0 काशीनाथ सिंह की नियुक्ति की तिथि 02-10-1992 होने के फलस्वरूप समिति के विचारण क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण विनियमितीकरण की संस्तुति समिति द्वारा नहीं की गयी है।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ में 33 के0 वी0 ए0 विद्युत सब-स्टेशनों पर विद्युत की सप्लाई न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री आलम बदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

[प्रदेश में बढ़ती हुई विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता न होने के कारण प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घंटे, तहसील मुख्यालय नगरों में प्रतिदिन 15 घंटे तथा आजमगढ़ नगर मण्डल का मुख्यालय होने के कारण प्रतिदिन 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। सभी क्षेत्रों में निर्धारित घंटों के अनुसार ही विद्युत आपूर्ति कराये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं परन्तु विद्युत की उपलब्धता में और कमी आ जाने के कारण निर्धारित से अधिक कटौती कराना प्रणाली की सुरक्षा हेतु अपरिहार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में स्थानीय ब्रेक डाउन या फिर कभी-कभी तकनीकी कारणों से भी विद्युत आपूर्ति में बाधा होने के कारण सम्पूर्ण जनपद में एक समान विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती है।

माननीय विधायक जी के द्वारा दी गयी सूचना को दृष्टिगत रखते हुये हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे कि क्षेत्रीय स्तर पर कम से कम विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हो जिससे जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत एक समान विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें।

विभिन्न 33 के0 वी0 फीडरों पर आपूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	प्राथमिक उपकेन्द्र	दिनांक	सोफीपुर (घण्टों में)	रानी सराय/ मुहम्मदपुर (घण्टों में)	चन्देसर/जहानागंज (घण्टों में)
1	132 के0 वी0 सिधारी, आजमगढ़	15-08-06	10:35	11:35	14:00
2		16-08-06	12:05	10:55	14:00
3		17-08-06	10:15	11:00	10:25
4		18-08-06	11:00	08:05	14:00
5		19-08-06	12:05	09:05	13:50
6		20-08-06	11:35	08:40	12:10
7		21-08-06	10:40	10:15	12:25
8		22-08-06	11:45	04:40	14:00

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्र0सं0	प्राथमिक उपकेन्द्र	दिनांक	सोफीपुर (घण्टों में)	रानी सराय/ मुहम्मदपुर (घण्टों में)	चन्देसर/जहानागंज (घण्टों में)
क्र0सं0	प्राथमिक उपकेन्द्र	दिनांक	फूलपुर (घण्टों में)		
1	132 के0 वी0 फूलपुर	15-08-06	13:10		
2		16-08-06	19:00		
3		17-08-06	14:00		
4		18-08-06	14:00		
5		19-08-06	14:00		
6		20-08-06	14:00		
7		21-08-06	14:00		
8		22-08-06	14:00		

जनपद-बांदा में सिंचाई प्रखण्ड-तृतीय, बांदा के अन्तर्गत बरियारपुर बियर, केन मुख्य नहर, गंगऊ बियर जुलाई, 2005 की आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में करोड़ों रुपये गबन किये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

सिंचाई मंत्री (डा0 मेराजउद्दीन अहमद)-

[बरियारपुर बियर, केन मुख्य नहर व गंगऊ बियर की मरम्मत कराये जाने के संबंध में की गयी अनियमितताओं की जांच कराकर बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराये जाने के निदेश प्रमुख अभियन्ता को दिये जा चुके हैं। प्रमुख अभियन्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रकरण की जांच मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी द्वारा की जा रही है।

अतः प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही सुनिश्चित किया जाना सम्भव होगा।]

जनपद-मुजफ्फरनगर स्थित मेरठ-करनाल मार्ग, पानीपत-खटीमा मार्ग पर निर्मित ध्वस्त पुलों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

[श्री हुकुम सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा, द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुजफ्फरनगर में दो प्रमुख राज्य मार्ग है जो हरियाणा एवं उत्तरांचल तक को प्रदेश से जोड़ते हैं। यह दोनों मार्ग पूर्णतया बाधित है क्योंकि दोनों मार्गों के पुल ध्वस्त हो चुके हैं। मेरठ-करनाल मार्ग पर निर्मित काठा नदी का पुल विगत 02 वर्षों से ध्वस्त हो चुके हैं तथा पूर्वी यमुना नहर का पुल 04 महीने से ध्वस्त है। अब इस मार्ग पर यातायात पूर्णतया बन्द है। इसी प्रकार पानीपत-खटीमा मार्ग पर गंगा नहर (अनूपशहर ब्रांच) का पुल भी टूट चुका है। सरकार ने अभी तक पुलों का निर्माण शुरू नहीं कराया है।

2-इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि मेरठ-करनाल राज्य मार्ग सं0-82 के कि0मी0-78 में काठ नाले पर स्थित क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर नये सेतु के निर्माण की स्वीकृति मेरठ-करनाल मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2543/23-12-02 दिनांक 26-12-02 द्वारा रु0 827.25 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। संदर्भगत सेतु के निर्माण की कार्यदायी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम है और उन्हें सेतु निर्माण हेतु रु0 44.95 लाख के सापेक्ष रु0 35.00 लाख का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। इस मार्ग के यातायात का आवागमन क्षतिग्रस्त सेतु के बगल में बने उपमार्ग (डाइवर्जन) से सुचारु रूप से हो रहा है।

मेरठ-करनाल राज्य मार्ग सं0-82 के कि0मी0-67 में पूर्वी यमुना नहर पर बने मेहराबदार सेतु (आर्च ब्रिज) जो क्षतिग्रस्त हो गया है, के स्थान पर नये सेतु के निर्माण के लिये दिनांक 03 जुलाई, 2006 को रु0 104.90 लाख का आगणन शासन में प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही त्वरित गति से हो रही है। पूर्वी यमुना नहर के दोनों तरफ 1.50 कि0मी0 नहर की पटरी पर उपमार्ग (डाइवर्जन) बनाकर नहर की ऊपरी धारा (अपस्ट्रीम) में शामली-मालेण्डी मार्ग के पुल से यातायात का आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

जहां तक पानीपत-खटीमा मार्ग पर गंगा नहर (अनूपशहर ब्रांच) पर निर्मित क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने का प्रश्न है यह सेतु सिंचाई विभाग का है। 02 वर्ष पूर्व इस सेतु की मरम्मत अनूपशहर खण्ड (गंगा नहर) सिंचाई विभाग मेरठ द्वारा कराई गयी थी। जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा पत्र दिनांक 01-08-06 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड (गंगा नहर) सिंचाई विभाग मेरठ को उक्त पुल की तुरन्त मरम्मत कराने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।]

प्रदेश में दुग्ध का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के सम्बन्ध में श्री रणवीर सिंह राणा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दुग्ध विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कामेश्वर उपाध्याय)-

[श्री रणवीर राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 22-08-2006 को दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण जनता की रोजी-रोटी का एक मात्र सहारा दुग्ध उत्पादन पर निर्भर है। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण ग्राम वासियों को दुग्ध उत्पादन करके अपने भरण-पोषण का कार्य चलाना है। मा0 सदस्य ने उल्लेख किया है कि दुग्ध उत्पादकों से 8-10 रुपये

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रति लीटर दूध खरीदा जा रहा है और महा नगरों में उपभोक्ताओं को दूध 30-35 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। इसका पूरा लाभ बिचौलियों को मिल रहा है और दूग्ध उत्पादक भारी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। मा0 सदस्य ने मांग की है कि सरकार दुग्ध का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे एवं गन्ना क्रय केन्द्रों की भांति ग्रामीणें से दूध खरीदने का प्रबन्ध करें जिससे गांव में रहने वाले 65 प्रतिशत ग्रामीण जनता को इसका लाभ मिल सके।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए ही विभाग एवं शासन, प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को उनकी लागत के अनुरूप दूध का उचित समर्थन मूल्य तथा उसके क्रय की समुचित व्यवस्था का पक्षधर है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को दूध का मूल्य क्रमशः 11,13, व 14 रुपये प्रति लीटर निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित विभागों, वित्त/न्याय/नियोजन का अभिमत प्राप्त किया जा रहा है। तदोपरान्त दुग्ध का समर्थन मूल्य घोषित करने हेतु समुचित प्रस्ताव मा0 मंत्रि-परिषद् के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में नीति विरुद्ध तथा नियम विरुद्ध स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार) (श्री गंगा प्रसाद पुष्कर)-

[श्री कौशल किशोर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अंकित है कि कार्मिक विभाग की वर्ष 2006 की स्थानान्तरण नीति में 10 प्रतिशत तक स्थानान्तण किये जाने की व्यवस्था है, जबकि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता संवर्ग में लगभग 35 प्रतिशत स्थानान्तरण जानबूझ कर दूरस्थ जनपदों में किये गये हैं, जिसके कारण लगभग 12 जनपदों में विभागीय अवर अभियन्ताओं की संख्या शून्य हो गयी है। जबकि समूह-क एवं ख के अभियन्ताओं के स्थानान्तरण 06 वर्ष के कालावधि के बावजूद नहीं किये गये हैं। श्री शिवलाल-ललितपुर, श्री सीताराम कापरी-सिद्धार्थनगर, श्री टी0 एन0 राय-वाराणसी, श्री राजेन्द्र यादव-कुशीनगर आदि जैसे लगभग 60 अभियन्ता। इससे कार्मिकों का उत्पीड़न और भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण प्रदान करके धन उगाही की शंका प्रतीत होती है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्गत अवर अभियन्ताओं/संगणकों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति दिनांक 07-06-2006 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार अपने सेवाकाल में विभाग में जनपद स्तर पर स्थापित एक प्रखण्ड में 10 वर्ष से अधिक की कार्यावधि वाले अवर अभियन्ताओं के ही स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार जनहित में किये गये हैं। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता के 2022 तथा संगणक के कुल 70 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष कुल 488 अवर अभियन्ताओं एवं ऐसे अवर अभियन्ता, जो अपने कार्य के साथ-साथ सहायक अभियन्ता का कार्य सम्पादित कर रहे हैं, के स्थानान्तरण इस वर्ष किये गये हैं।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त में से 10 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण शिकायतों के दृष्टिगत प्रशासनिक आधार पर तथा 28 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किये गये हैं। इस प्रकार केवल 450 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण विगत सामान्य स्थानान्तरण सत्र में सक्षम स्तर से किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा अवर अभियन्ता सम्वर्ग में 35 प्रतिशत स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं। यह भी स्पष्ट करना है कि एक स्थान पर 10 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि व्यतीत कर चुके कार्मिकों का स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने में 10 प्रतिशत की सीमा कार्मिक विभाग से निर्गत सामान्य स्थानान्तरण नीति में प्रतिबन्धित नहीं किया गया है। जहां तक कतिपय अवर अभियन्ताओं को दूरस्थ स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि जिन प्रखण्डों के आस-पास के जनपदों में अवर अभियन्ताओं की कमी थी, उन्हें अन्य परिमण्डलों/प्रखण्डों से स्थानान्तरित कर कार्यहित में यथावश्यक तैनाती की गयी। इस प्रकार जानबूझकर किसी अवर अभियन्ता को दूरस्थ स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी आरोप सही नहीं है। यह कहना भी सही नहीं है कि 12 जनपदों में अवर अभियन्ताओं की संख्या शून्य हो गयी है।

3-इस प्रसंग में यह उल्लिखित करना है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा प्रदेश के 30 जनपदों में 51 पी0आई0यू0 (प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन यूनिट) के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है तथा जनहित/कार्यहित में पी0आई0यू0 में कार्यरत सभी श्रेणी के अभियन्ताओं का न्यूनतम स्थानान्तरण किया जाना विभाग द्वारा सिद्धान्त रूप से तय किया गया तथा इसी के आलोक में मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में इंगित अधिशासी अभियन्ता सर्वश्री-शिवपाल एवं राजेन्द्र यादव पी0आई0यू0 में कार्यरत है। श्री सीताराम कापरी, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर में अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है तथा श्री टी0 एन0 राय का स्थानान्तरण जून, 2005 में ही पी0आई0यू0-2 बाराबंकी के लिये हो चुका है।

इस प्रकार विभाग द्वारा विगत स्थानान्तरण सत्र 2006-07 के अन्तर्गत जो भी स्थानान्तरण किये गये हैं, वे सभी स्थानान्तरण नीति के आलोक में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके किया गया है। इसमें कार्मिकों का उत्पीड़न एवं भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में धन उगाही किये जाने की मा0 सदस्य की शंका निर्मूल है।]

कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र में पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्यएवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[घाटमपुर नगरपालिका परिषद् मेंवर्ष 1989 में एक पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया था जिसकी अनुमानित लागत रु0 1,33,00,000/- थी। उक्त योजना में 4 नलकूप एवं एक अवर

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जलाशय का कार्य प्रस्तावित था। उक्त योजना में धन न मिल पाने के कारण कोई कार्य जल निगम द्वारा नहीं कराया गया। त्वरित राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, घाटमपुर को 2 नलकूपों के निर्माण हेतु रु0 42.33 लाख की धनराशि अवमुक्त होने पर 2 नग नलकूपों का निर्माण का कार्य पूर्ण कराकर उक्त नलकूपों को नगरपालिका परिषद को हस्तानान्तरित कर दिया गया।

2-नगर पालिका परिषद, घाटमपुर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 43,000 है। वर्तमान में घाटमपुर नगर पालिका परिषद में कुल 4 नलकूप एवं 2 अवर जलाशय जिनकी कुल क्षमता 350 कि0ली0 है, से जलापूर्ति की जा रही है। नगर के एक क्षेत्र विशेष हाफिजपुर में खारे पानी की शिकायत हैण्डपम्पों के पानी में पायी गयी है लेकिन उस क्षेत्र विशेष को पाइप्ड पेयजल योजना से शुद्ध जलापूर्ति करायी जा रही हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पालिका परिषद, घाटमपुर में कुल 95 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जिनसे भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है।]

वर्ष 1952 से 1957 तक की अवधि के 15 विधान सभा सदस्यों के सम्मान समारोह के अवसर पर आज सदन में उपस्थित रहने हेतु सभी सदस्यों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि पौने तीन बजे आप सभी सदस्यगण कार्यक्रम में उपस्थित हों। दलों के नेतागण भी समय से आ जाएं क्योंकि उनके द्वारा माल्यार्पण किया जाना है।

अब हम उठते हैं।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही स्थगित हुई।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 1 बजकर 5 मिनट पर गुरुवार दि0 31-8-2006 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 25 अगस्त, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 226 विधान सभा (378)-27-11-2006-813 (कम्प्यूटर)